ISSN (Print): 3048-6459

IEARJ

INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLIED RESEARCH JOURNAL

Peer Reviewed International Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Volume : 02 | Issue : 02 | February 2025

iearjc.com

Editor,
INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLIED RESEARCH JOURNAL
Indore - 452020. (Madhya Pradesh, India)
Email Id : info@iearjc.com | Website : iearjc.com | Contact No : +91-7974455742

INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLIED RESEARCH JOURNAL

PEER REVIEWED JOURNAL- EQUIVENT TO UGC JOURNAL

ISSN (Print) 3048-6459 & ISSN (Online) 2456-6713

Volume: 02 & Issue: 02

Month: February-2025

Starting Year of Publication: 2024

Frequency Year of Publication: Monthly

Format: Print Mode

Subject: Multidisciplinary

Language: Multiple Language (English & Hindi)

Published By:

International Educational applied Research Journal

Publisher's Address:

56, Sarthak vihar, Mirjapur, Indore-452020, and Madhya Pradesh

Printer:

International Educational applied Research Journal

Copyright:

International Educational applied Research Journal

Editor Board		
Editor in Chief		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Deependra Sharma	Associate Professor	GMERS Medical Collage, Valsad, Gujarat Email Id: info@iearjc.com Cont. No.8980038054
Emeritus Editor		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Prasanna Purohit	Associate Professor	Department of Microbiology and Botany, Dr. A. P. J Abdul Kalam University Indore M.P Email Id: purohit_prasann@yahoo.com Conct. No.: 735401777

Executive Editor		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Rina Sharma	Prof & HOD Obs and Gynae	Principal Autonomous state medical college, Amethi, U.P E-mail ID: principalgmcamethi@gmail.com
Dr. Manish Mishra	Associate Professor Biochemistry	Rajarshi Dasharath Autonomous State Medical College, Ayodhya, U.P Conct Number:9452005795,8887858880 Email Id: drmanishreena@gmail.com
Dr. Pawan Goyal	Professor and Head Department of Physiology	Kiran Medical College, Surat, Gujarat E-mail Id: pawan.goyal@kiranmedicalcpllege.com
Asst. Editor		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Ashal Shah	Lecture	Department of Pharmacology, GMERS Medical college halarroad, nanakwada, valsad-396001 Gujarat E-Mail Id: aashal_167@yahoo.co.in Conct No. 7990955609
Dr. Boski Gupta	Lecturer	Department of Dentistry GMERS Medical college, Gandhinagar, Gujarat

Technical Editor (Language and Reference)		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Mitasha Purohit	Technical Editor	Editor Office Indore M.P India
Vedant Sharma	Technical Editor	Editor Office Indore M.P India

National Editorial Board		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Amit Jain	Head R&D	Veer pharmachemJhagadia Bharuch Gujarat E-mail ID: amit.jain@veerpharmachem.com Conct. No. 7020692540
Dr. Jimi B. Hadvaid	Physician	Department of Homoeopathic (Enlisted) Physician, Ahmedabad-380001
Dr. Deepak Saxena	Director	IIPHG Ga dhinager Gujarat Email ID: director@iiphg.org & ddeepak72@iphg.org

International Editorial Board		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Sukhprit Purewal	Medical Laboratory Program Instructor	1300 Central Parkway West, Suite 400, Mississauge, ON L5C 4G8 CDAANA E-mail ID: s.purewal@oxfordeduca
Satya Dev Sharma	Director of Engineering	Address: Director of Engineering IVANTI Utah, USA. E-mail ID: Satyadev.sharma@ivanti.com
Dr. Prabhjot Singh	Advisor	Advisor, Health Surveillance, Disease Prevention and Control Pan American Health Organization/World Health Organization Office for Barbados, Eastern Caribbean Countries and the French Departments E-mail ID singhpra@paho.org

Publisher		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Mitasha Purohit	Technical Editor	Editor Office Indore M.P India
Editor Office Address		
56, SarthakVihar, Mirjapur, Indore M.P. PIN-452020		
Conct. No.		
+91-7974455742, 91-8980038054 | E-mail Id: info@iearjc.com		

INDEX

S.no	PAPER TITLE AND AUTHOR NAME	Page no.
1.	THE IMPORTANCE OF CULTURAL CREED AND INCONGRUITY IN THE NOVELS : SALMAN RUSHDIE	1-6
2.	THE SOCIAL PARADIGM AND DIASPORA IN THE NOVELS: SALMAN RUSHDIE	7-13
3.	भारत की विदेश नीति के विचार धाराओं का चीन के साथ राजनयिक संबन्ध	14-19
4.	बालश्रमिकों पर मानवाधिकार की सार्थक उपादेयता	20-25
5.	भारत का पाकिस्तान पर पड़ने वाला उदारीकरण नीतियों का प्रभाव	26-30
6.	माध्यमिक शिक्षा के विकास में शिक्षा नीति का योगदान	30-35
7.	भारतीय लोकतंत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में विकेन्द्रीकरण की समस्या	36-39
8.	Lokmata Ahilyabai Holkar: A Beacon of Women’s Self-Respect and Societal Awakening	40-48
9.	**बाल साहित्य की अवधारणा का सामाजिक महत्व**	**49-52**
10.	**समकालीन बाल साहित्य और उसकी प्रवृत्तियाँ**	**53-56**

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

THE IMPORTANCE OF CULTURAL CREED AND INCONGRUITY IN THE NOVELS : SALMAN RUSHDIE

[1]Vinod Kadam

[1]Research Scholar

Deptt. English Literature

Jiwaji University

Gwalior

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14876515

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

The Indian diaspora in time spans a period from the 1830s to the present time and in space covers over a 100 countries. There are over 25 million Indians in diaspora today and it is the largest diaspora after the Chinese one. Included in this diaspora are those who were displaced in the 19th century in the colonial period when they were taken as indentured labour to other British and even French colonies. They were transported across the Kala Paani, the black waters of the oceans, in ships and by self-definition call themselves the 'jahajis' today. By the end of the 20th century the term 'diasporic' in the context of Indians had expanded to include the 'cyber coolies', i.e., IT professionals who hefting their laptops on their shoulders also crossed the Kala Paani, but this time in jets rather than in jahajs, to work as 'outsourced labour' in companies around the world which need their expertise.

I. Cultural Creed Definition and Aptness in today's world

Intermingled in these categories are also the professional and academic diasporas, which began also in the colonial period and continue to this day. To problematize matters further we now have a breed of global Indians who set up shops big and small-around the world and trade in commodities, small and heavy industries and buy and sell huge corporations. These include the Tatas, the Ambanis, the Mittals, the Bhatias and many others who in real and virtual spaces live and trade across borders. The global Indian is basically an economic creature who might have roots and homes in many countries around the world.

Keywords: Diaspora, labour, countries, shoulders, colonial

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

However, it is the transnational Indians who also like the global Indians live across borders and are of greater interest to diaspora scholars as they are the ones who exhibit diasporic traits that span a wider spectrum than that offered by the global Indians. It is the transnational jet-setting, country-hopping Indians who set up homes, albeit temporary and partake of the spaces of the more settled older diasporics, in those spaces. They are the ones who also like the older diasporics, more often than not, politicize and problematize their lives in literature and cinema. They are also the ones who have one passport, but in sequential order, more than one residence permits, in more than one country. The more rooted NRI diaspora might still for various reasons cling to their Indian passports but have a residence permit, a green card, in only one country. They too are celebrated in cinema and literature by those of their own kind.

It is, in my opinion, quite interesting and even necessary to try and categorize these different Indian diasporas, at least for the sake of academic and research rigour as some researchers when confronted with a variety of diasporic Indians tend to collapse them all into one catch-all category the Indian diasporic. This then becomes as hegemonic and misleading as the other umbrella term, now much critiqued if not reviled - I refer to the term 'postcolonial.

It is important to find the right definitions and categories for the diaspora, it is also essential to historically contextualize these diasporas. The jahaji or indentured diaspora had begun when the British Empire had spread its tentacles around the globe and the red stain of imperialism had leaked into diverse land masses. Indian labourers and then entrepreneurs followed the Union Jack from the Caribbean islands to Fiji and from Canada to South Africa. Thus were established 'little Indias', now inhabited by second and third generation persons of Indian origins who the Indian Government today calls Pravasi Bharatiyas. Among this group are also the diasporics of more recent postcolonial origins. The Indian diapsora today is larger than the entire population of some nation-states. As India is a multicultural, multilingual, multiracial and multi-religious country. The Indian diaspora too displays all these traits. It speaks different languages Hindi, Punjabi, Gujarati, Marathi, Tamil, etc., and worships at different altars - Hindu, Muslim, Sikh and Christian.

India celebrated the first Pravasi Bharatiya Divas on 9th January 2003 - 9th January in 1915 being the day on which one of India's most celebrated diasporics had returned home after more than 21 years in South Africa, the reference being to Mahatma Gandhi. This celebration has now become an annual feature. It is instructive to note here that it is not mere nostalgia that has inspired the mandarins in Delhi to celebrate the Indian diaspora. As Lord Meghnand Desai has said, 'its hard-headed business sense' ('Big Fight',

NDTV 24x7, 10 January 2004) that has probably driven the Indian Government machinery in the direction of granting PIO and OCI cards to these Pravasi Bharatiyas.

This diasporic population has political and socio-economic importance, not only in their new lands but also in India, due to the direct and indirect economic investments they make here. The diasporic Indians have been performing another important role - they have been imaging India to the world. Being away from the land of their ancestors, they have experienced the loss of self, by writing of this experience they hope to regain this self. However, this exercise often comes into conflict with the more rooted Indians and their perceptions of India.

The earlier generation of diasporic Indian writers included men like V.S. Naipaul, the Nobel laureate in literature, who has had and continues to have a rather stormy relationship with the land of his ancestors. The more recent among the writers of the Indian diaspora are Salman Rushdie, M.G Vassanji, Bharati Mukherjee and Rohinton Mistry, among many others. They too are alternately lauded and reviled in their ancestral homeland. This marks not just the ambivalent relationships these writers have with the motherland but also the feelings of acceptance and rejection manifested towards them by India herself. This is not surprising as prodigal sons or daughters are often resented for their betrayal of their parental home - by having left it - as they are loved for sometimes returning to it or displaying a continuous attachment to it despite the thousands of kilometres and the long years that stretch between their old and new worlds.

As for the fact that the diasporic Indians located as they are in the West and hence have easy access to the Western publishing houses and media, often becomes a matter of concern regarding their imaging of India. There is a feeling in the old homeland that their imaging of India is often not the one contemporary India might want projected to the world. The matter of the diasporic time warp is raised in this context and at times even their very right to the history of the old land., As Rushdie has put it, "the migrant is at times resented for having fulfilled the dream that the stay-at-homers have also dreamt - 'they have flown'. So when this migrant, this diasporic person writes about his/her old land there are shouts of 'Outsider! Trespasser! You have no right to this subject! Poacher! Pirate! ... You with your foreign language wrapped around you like a flag: speaking about us in your forked tongue, what can you tell but lies?" To this charge the diasporic writer might reply, "Is history to beonsidered the property of the participants solely? In what courts are such claims staked, what boundary commission's map out the territories?"[1]

The colonial Indian diaspora had its predecessors in the pre- colonial Indian diasporas which may be called the 'maritime diaspora' and the 'caravan diaspora'. The former originated from around the eastern and western coasts of India and spread out to countries across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. This

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

was a trading diaspora, which also carried with it Indian culture and religions such as Hinduism and Buddhism, and dates back at least 2,000 years. The caravan routes which went from the northwest of India to Central Asia and from there to Europe, resulted in the caravan diaspora. The caravan trade routes were active from the 13th to the 16th century A.D. and like the maritime diaspora, spread Indian culture, religions, languages and peoples across trajectories.[2]

India was colonized by European countries such as Portugal, England, France, the Netherlands beginning the 16th century. The colonial Indian diaspora, however, began only in the 1830s, and is mainly restricted to British India, although the French too transported labour from its Indian possessions to other parts of its empire. The British colonial Indian diaspora, sometimes forcibly and at times voluntarily, dispersed a sizeable chunk of Indian peoples throughout its other imperial outposts.[3] This diaspora was sparked off by the official end of slavery in the British Empire, when Indian peasants were transported to the Caribbean and the Fiji islands to fill the gaping holes in the workforce on sugar plantations there. Indian labour was also used to construct railways and roads in Africa and to work in the rubber and tea plantations in Mauritius, Sri Lanka and Malaysia. Robin Cohen[3] calls this the 'labour diaspora'. This diaspora was meant to replace slavery with cheap labourfrom the colonies. However, there was a difference between the indentured labour from the colonies and the black slaves.

The indentured labourers could not be bought or sold like the slaves and at the end of their contract period had to be given a free/sponsored passage back home or given an opportunity to be re- indentured with a promise to be set free at the end of their renewed indentures. Though as V.S. Naipauls has noted, very few of the Indians taken to the Caribbean took the passage back home - for most Indians the journey to Trinidad 'had been final'. It is possible that after having lost caste by crossing the ocean - Kaala Pani, the black water the mainly Hindu indentured labourers would have been reluctant to return home and live as outcastes in their villages.

Although for the indentured labour diaspora return home was almost always impossible and the new land became 'home', the notion of 'homeland' that was nurtured from generation to generation was always India. For the indentured labour diaspora which did not have access to modern transport and technology and which was more often than not illiterate, the one 'memory text' they had was the Ramayana that someone in the transported group had carried with him to the new land. The Ramayana with its tale of Ram in exile struck an obvious chord in the breasts of the transported labourers, who saw themselves in exile like Ram, banished from their homelands due to reasons ranging from poverty, to caste atrocities, to indebtedness and to widowhood in the case of the women. Banished they were but as the critic Brij Lal has said they retained not just the values taught by the Ramayana, loyalty, obedience, fealty but also often re-created a

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

version of India their own imaginary homeland in the new socio-economic, cultural and political order, through which they continued to perceive Indias even after more than a

hundred years. Also in this diaspora there was despair at their reduced social situation and the ignominy of having to bear the tag of 'coolie'.

The tradition of expression of longing for the lost homeland one could argue is a leitmotif virtually with this diaspora of Indian indentured labour now available as not merely a memory text with the present generation of its descendants. A veritable example may be found in the contemporary Fijian poet Sudesh Mishra who uses the Bidesia tradition, associated with longing for the beloved in Indian literatures, to express a longing for the lost homeland in his.

The Time is Out of Joint (2002), 'The monsoon clouds are gathered, O Rama/But in which place dwells the stranger?' This diasporic perception of the homeland is what Uma Parmeswaran calls 'diaspora consciousness" and this is usually nurtured through the generations by various modes - oral family histories, Indian religious texts, Indian myths, literary texts and now cinema and television. The result thus is a hyphenated identity the diasporics have carried with them down the years in distant new lands.[4] This nostalgia is an underscoring trope that is indissolubly linked, affixed, entrenched with the image of India, which through the passage of time successive generation/descendants been re- imaged, cast, moulded and planted like a flag in the new country. The point is this consciousness though expresses itself differently and is more, or less immediate, depending on generational difference and distancing in time.

The forced diaspora was followed by voluntary migrations to these countries by small-time entrepreneurs who followed the imperial flag in search of trade. This marks the transformation of the constitution of the Indian diaspora from labour to the petty bourgeoisie. After the end of Empire, the Africanization programmes of several countries on the African continent and the covert and overt racism practised in the Caribbean islands, led large sections of Indians there to once again migrate, this time to either the 'mother' country Britain or to Canada In this context, it would be worthwhile to note that the story of race in the original sense is the Manichean opposition of Black and White, analyzed by Frantz Fanon and Edward Said. 10 In India the brown races occupied the position of the Blacks, although they were often called the natives as well.[5]

In the African/Caribbean spaces the opposition was between the White colonizers and the Africans/Afro-Caribbeans. The diasporic brown Black races complicated the situation and were in time treated as colonial elite by the Europeans and hence earned the ire of the Blacks, who thought of them as colonial stooges. This situation was compounded by the economic power the Indian diasporic people began to acquire. This after decolonization led first to discrimination and then, as in Uganda, to expulsion of the descendants of

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

the indentured Indian labourers and traders. The expelled Indians and those who voluntarily left the African/Caribbean countries, once again did not exercise the option to return to India. The reasons this time being materialistic rather than related to caste.

The postcolonial Indian diaspora, which began in the late 1940s, has its own ways of re-creating, re-imaging the homeland. This diaspora of the 1940s though anticipating the later postcolonial diasporas, has a point of contiguity in labour, this time though as a result of the massive military and civilian casualties during the Second World War. However, the need for such labour was this time at the erstwhile colonial centre, rather than at its peripheries.

At first it was skilled and semi-skilled labourers from India who went to Britain but they were soon followed in the 1950s and 60s by professionals, especially doctors and nurses, that Britain needed for its newly inaugurated utopian project of the National Health Service, which marks the beginnings of the postcolonial Indian diaspora. This postcolonial diaspora took yet another turn in the 1970s with a large number of Indian students flocking to American universities and then staying on to make America their new home. This diasporic location was soon augmented by newer locations such as Canada (which of course also has its older Indian diaspora).

References

1. Salman Rushdie, Shame, Knof, 1983, Vintage, London, 1989, p.28.
2. For details see, The Encyclopedia opedia of the Indian Diaspora, General Editor: Brij Lal, Editor: Didier Miller, Singapore, 2006.
3. Robin Cohen, Global Diasporas: An Introduction, UCL Press, London, 1997, p.57.
4. V.S. Naipaul, An Area of Darkness, Andre Deutsch, London, 1964, p.31.
5. See Brij Lal, 'The Indian Context', in The Encyclopaedia of the Indian Diaspora, 2006 p.18.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

THE SOCIAL PARADIGM AND DIASPORA IN THE NOVELS: SALMAN RUSHDIE

[1]Vinod Kadam

[1]Research Scholar

Deptt. English Literature

Jiwaji University

Gwalior

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14876526

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

The social mechanisms individuals use to understand themselves as part of a social group. Because different socio-cultural and literary perspectives have conflicting notions of "self," whether reality is determined culturally, politically, or both becomes important to evaluate how these views are presented and represented through voices in novel form. The paper looks at the ways Salman Rushdie approaches and views identity as mediated and misrepresented by socio-political and cultural institutions of power in his novels.

It becomes convenient for educational systems, political advocates, and custodians of culture whose logic is… Oppression, regardless of the corrosive attitudes and practices it engenders, is expected and almost acceptable as human behaviour. It should come as no surprise to writers and scholars that these behaviours find adequate spaces to incubate; advances and disciplines in the technological field being no exception.

The circumstances appear to provide profitable situations for power, where a critical awareness of the destruction to ourselves and the environment is ignored. It is not in the interest of the oppressive forces and those in the dominant position in social hierarchy to affect or put into practice critical perspectives. Rather, the domestic and public realities of those lowest on the social strata, and the existence of stratums, are likely.

This cultural struggle and misunderstanding of identity might be the case simply because it is through cultural and political tensions that these identities are formed and fixed. The point here is that

what is considered labelled identity might actually be social reproductions

of attitudes and behaviours that are designed to culturally and politically disrupt. In light of this socially divisive way of constructing identities in opposition to one another, the question becomes how people develop a new self-critical and socially conscious attitude toward the normal cultural practices.

Keywords : Culture, perspectives, behavior, environment, considered

Which people begin to question their self-constitution and by extension, question the authority of social institutions as categories that hope to impose identities. The characteristic of these categories that should come under heavy scrutiny is their claim to represent the 'truth' or knowledge based on the authority. The questioning of authority and identifying the failures of social and political structures might begin through concerning one's self with the outside the socially situated identities that are provided by politics, culture, class, sex, race and so on.1

The space and dialogue made available to writers who critically engage these issues offer the opportunity to view identity formation as being adequately or inadequately incorporated and represented in the world. In this way, it is possible to look at identity not as absolute and uncompromising facts of society, but more as imaginative constructs or ideas, that themselves undergo an evolutionary process. It is from this position that readers begin to engage the work of Salman Rushdie, whose body of writing it seems, aims at criticizing aspects of identity and society that are terrifyingly abject, irrelevant, but to which people maintain a strong emotional attachment so that it is difficult to understand one's self outside the meanings and definitions that society has provided.

The problem with identity, as it is read in Rushdie's novels, is that the notion of liberty and freedom is founded upon network of laws and an association with a centralized, but conflicting idealism. This means that those who are not associated with or reflect any similarity to a politicized identity, like an American-ness for example are regarded as dispossessed and alien to the concept of freedom. To be American is to be free. While the logic may come across as one that is simple and irrefutable, to designate a civilization

wrought with contradictions is how it represents itself. Rushdie stirs this notion in his novel Fury when the character Malik regards the modern accouchements of American society with some contempt.

In all of India, China, Africa and much of the southern American continent, those who had the leisure and wallet for fashion-or more simply, in the poorer latitudes, for the mere acquisition of things would have killed for the street merchandise of Manhattan, as also for the cast- off clothing and soft furnishings to be found in the opulent thrift stores.[2]

Though the theoretical connections to the problems of internal social categories are not mentioned in this quote from the text, the global implications are not to be denied. By identifying with the material preoccupations of the upper echelons of American society, Rushdie underscores the consequences of global and internal politics, classism, and racism and so on. Since the American has either assumed or designated itself the moral, ethical, political centre of international identity, it is appropriate and justified to evaluate how its socio-political practices continue to shape and determine the realities both within its own systems and abroad.

Most of American contemporary media, social and political culture remains controversial and the difficulty is increased when the understanding of racism, classism and so on dissolve into a national identity; being construed as 'the way things should be.

No doubt it is ambitious argument to locate the fallacy in this perspective, but when the identity is interwoven with an error and that error is perceived as fact, the romance and obsession with the fragments might be too engrossing to detach readily. Yet, Rushdie is able to locate the tragic imperfection in the self-conception of the cosmopolitanism that represents American- ness, or other global powers and institutions for that matter.

In Fury Malik is able to notice how the attitudes of a consumer culture are condescending toward those surviving at the lower end of the social ladder. The character says: “America insulted the rest of the planet... by treating such bounty with the shoulder-shrugging casualness of the inequitably wealthy”.

The irony here is that though the character is able to identify the gross misappropriations of wealth and obvious abuse of power, he is unable to separate himself from its influence. It is here that an interesting tension emerges when the idea of liberalism comes to be represented by the image of America and other dominant countries residing in a similar privileged position. With recognizing an identity and freedom based on the association with privilege and the excess of cosmopolitanism comes the need to embrace the conflict and the real exploitation of other groups. This becomes a supposed and accepted fact that maps out and defines the socio-cultural and political situations of American society. The conflicted nature of

such inclusiveness, as reflected through Malik becomes a distinctive characteristic, which itself becomes a contrasting point of view when it comes to the notion of freedom, liberalism and identity. If countries like America are actually the signs and symbols of freedom that their cultures claim to represent, then questions and matters of identity should not be a frequently entertained dilemma.

The failure to successfully negotiate social relationships might not only be classified as a failure to engage the issue of diversity, but might also be a purposeful method of not addressing the practices of exclusion. Rushdie, through Malik, explains the failure and the limitations on perspective when the character begins to epitomize the principles of consumerism and social indifference he previously rebuked. The novel says that Malik became "This creature of his own imagining... born of his best self and purest endeavour, was turning before his eyes into the kind of monster of tawdry celebrity he most profoundly abhorred". Rushdie is aware of the disorientation and general perplexities of the being involved or participating actively in a society that defines itself by how it separated people and not sincere attempts at unification.

Although Rushdie's personal history and critical view on the cultural practices of India allow him to understand cultural displacement as having positive features or outcomes, the right and ability to partake in the discovery of a different way of thinking about the meaning of identity; one that finds itself disassociated with partial perspectives and is more aligned with the power of imagination. The writing of Midnight's Children for instance, Rushdie's first popular novel, becomes a radically different way of understanding how national identities are more corrosive and suppresses human potential more than cultivates possibilities.

The main character in the novel, Saleem, becomes the embodiment of Indian nationality being born at the moment India receives independence. The character, however, quickly becomes an illusion of coherence, which in turn becomes the metaphor for discrediting the idea of a national identity. Saleem is portrayed as a character with many mental and physical abilities, but whose incapacity to understand himself and the world around him prevents him from 'finding his voice' and realizing his potential to perform 'good things' with his abilities. Saleem's impossible circumstance begins to represent the unlikelihood that a national identity could be realized or fashioned from a society that embraces corrosive divisions. Jean M. Kane in The Migrant Intellectual and the Body of History explains what Rushdie hopes to communicate that the social philosophy of Western cultures in particular is a means of constituting and perpetuating the ideals of self-ignorance. Kane says.

Saleem Sinai exemplifies this collective, revisionary, and somatic subject. Portraying his very existence as miraculous and unsustainable, he continually asserts that he is physically decomposing as he relates his tale. His conditions underscore the impossibility of the novel's imaginative and political project to fashion

a nation from the diverse subcontinent. Saleem's fatalistic contention is finally realized when he disintegrates as a result of this disease. His chronicle alone remains as the material container of national meaning.3

Kane interprets the person, Saleem, as the diminutive and philosophical representation of the principles embraced by a national identity. It becomes the demand of an individual's personal identity to coalesce or be forgotten for the sake of nationalism. Kane argues that the immediate conflict is associated with the juxtaposition. However, it is common practice of globally dominant cultures to impose such imaginative dissimulation. Such social and political practice not only brings the delusion of national identity into the discussion, but argues the unreliability of diametrically opposed social realities once thought to be concrete and commonsense reasoning.

I. Salman Rushdie message for modern man : A forecast

Rushdie imagines the main character in Midnight's Children to meet the literal and specific demands of the national imagination and the reasoning of modern governments. The attitudes, general principles and group affiliations are centred and marked by a maternal connection to country. In short, your country's constitution determines your identity. As a matter of fact, the difficulty of finding a person who does not affiliate himself with maternal connections to social categories of his country reflects the difficulty of articulating an identity that is not affected or determined by binary oppositions or social categorizations.

The material worlds that politics and culture engender rely heavily on its historical tendency to mark and demark. And while in some cases it could be the best interest of society that identities assumed specific and constructive functions, they appear to have equally negative effect. For one, and as mentioned before, the thought of opposition holds a veil of ignorance, determines and embodies the social life of many. Kane goes on to describe Saleem as the human that explodes with internal contradiction and is unable to manage the demands or divergent principles of being a human being and nationalism. Kane writes:

Where [Saleem's] experience cannot fund a merging of nation, voice, and body, of personal memory and cultural distance, the author assumes a romantic relationship to the body of the subcontinent. Saleem's political ineffectiveness as an adult takes the form of emotional and physical impotence, as he cannot overcome incestuous attachments to figures who represent a united India. It is in this context that the narrator pits textual production against biological procreation as a superior method of national formation.[4]

Under this kind of pressure it is difficult, almost impossible, to imagine an identity that is able to properly engage the internal conflicts and social contradictions that emerge from negotiating the desires and agenda of nationalism and an identity apart from political identification.

The success of political discourse thus far has been its ability to communicate, have influence over and obscure the social factors and points of contradiction between self-understanding and the institutionalized veil of ignorance.

In Midnight's Children, Saleem acknowledges the disparity between nationalism and the human condition and why the conversation on the sociability of the human subject is one that is inundated with imaginative references that are irreconcilable. Saleem says.

A human being, inside himself, is anything but a whole, anything but homogeneous; all kinds of everywhichthing are jumbled up inside of him, and he is one person one minute and another, the next. The body, on the other hand, is homogeneous as anything. Indivisible, a one- piece suit.[5]

The awareness and magnitude of this condition are far reaching in the fact that without having the capacity to 'name' and interpret the political foregrounding precisely, an individual remains internally conflicted, but externally understands the self as 'one-piece' suit participant with particular but limited individual interests.

Looking at Malik from Fury and Saleem from Midnight's Children readers come to notice how Rushdie identifies the real and profound limitations of identities that are an imperative or necessary part of power dynamics in the relationship between the self and the political world.

The limitations and problems with identity continue to be the factor that decides and determines the ways in which the political forces designate entire groups and the nature of the relationships between them as well. For example, when the discourse and identity of the dominant group is considered, which inarguably would be the white population of America; it is known that the privilege of their position allows the social and territorial marking of their own. Because of this position of privilege and influence, the white population if America understands and engages “otherness” according to the categories of exclusion of which they are not a part. While the main focus here is how the social practices within cosmopolitan and so-called democratic society affect groups in a general way, it helps to ascertain the point where such systemic anomaly is located.

References

1. Deena Seodial Prank, Salman Rudhdie’s Globel Philosophy Critical Essays, Prestige Books international Delhi, 2013, p. 44

2. Amanuddin, Syed. "The Novels of Salman Rushdie: Mediated Reality as Fantasy." World

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Literature Today 63.1 (1989): 42-45.

3. Cook, Rufus. "Place and Displacement in Salman Rushdie's Work." World Literature Today 68.1 (1994): 23.

4. Deszcz, Justyna. "Salman Rushdie's Magical Kingdom: The Moor's Last Sigh and Fairy-Tale Utopia." Marvels and Tales: Journal of Fairy-Tale Studies 18.1 (2004): 28-52.

5. Project Muse. 2 Nov. 2011. Neuman, Justin. "The Fictive Origins of Secular Humanism." Criticism, 50.4 (2008): 675-82.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भारत की विदेश नीति के विचारधाराओं का चीन के साथ राजनयिक संबंध

[1] अंजना पाराशर

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, अमर शहीद चन्द्रषेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

[2]डॉ. ऊषा त्रिपाठी

[2]प्राध्यापक,राजनीति विज्ञान, अमर शहीद चन्द्रषेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14911377

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

प्रस्तावना (Introduction):

आज विश्व के सभी राज्य एक–दूसरे से भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए भी संचार के आधुनिक साधनों से निकट आ गये हैं। विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना दूसरे राष्ट्रों पर आवश्यक रूप से प्रभाव डालती है। विश्व के सभी राज्य किसी न किसी कारण से एक–दूसरे पर आश्रित है। यही कारण है कि वर्तमान में विश्व राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास तथा निर्माण को बहुत महत्त्व दिया जाता है। अपने विदेश सम्बन्धों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य (Objectives of Indian Foreign Policy):
भारतीय संविधान की धारा 51 में विदेश नीति का निर्देशन करते हुए चार आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया गया है– अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य – (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, (ख) राज्यों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखन, (ग) संगठित लोगो के एक–दूसरे व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि वबाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है–

1. भारत को विश्व की महान् प्रभावशाली शक्ति बनाना।
2. भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
3. सर्वत्र उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना।
4. एशिया तथा अफ्रीका के देशों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन करना।
5. राष्ट्रमण्डल के देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखना।
6. राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना।
7. वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं की सृष्टि करना।
8. प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना।
9. पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियायी अफ्रीकी देशों को संगठित करना।
10. संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उससे सम्बद्ध उसकी अन्य संस्थाओं का समर्थन तथा उनसे सहयोग करना।

मुख्य बिन्दु : अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, औद्योगिक विकास, विदेश नीति के उद्देश्य

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भारत की विदेश नीति के विचारधाराओं का चीन के साथ राजनयिक संबन्ध

भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व (Determinating Factors of India's Foreign Policy)

डॉ. बी. पी. दत्त के शब्दों में, "ऐतिहासिक परम्पराओ, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्त्व रहे हैं।" भारत की विदेश नीति के निर्माण में निम्न तत्त्वों ने योगदान दिया है[1]

भारत एवं चीन के राजनायक संबन्ध समय–समय पर परिवर्तित होते रहे है। जिस कारण से भारत की विभिन्न साकारों ने चीन के साथ संबन्ध बनाने का प्रयास किया है।

(1) भौगोलिक तत्त्व :

किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में भौगोलिक तत्त्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। के. एम. पणिक्कर के शब्दों में, "जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है।" नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था कि, "किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है।" डॉ. जेम्स एमर्स के शब्द उल्लेखनीय है कि, "समझौते तोड़े जा सकते हैं, सन्धियों भी एकतरफा समाप्त की जा सकती है, परन्तु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है।" भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर–दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। हिन्द महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतन्त्र, एवं शान्ति का क्षेत्र बना रहे। भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर है।

(2) गुटनिरपेक्षता :

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व दो गुटो पूँजीवाद और साम्यवाद में बँटा हुआ था। इन दोनों में अधिक मनमुटाव के कारण शीत युद्ध चल रहा था। भारत ने इन दोनो गुटो से अलग रहकर अपने आपको गुटनिरपेक्ष देश रखा। गुटनिरपेक्षता की स्थिति भारत को दोनो गुटों के मध्य मध्यस्थ का कार्य कर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देती है।

(3) विचारधाराओं का प्रभाव :

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव है। महात्मा गांधी की शान्ति और अहिसा पर आधारित गाँधीवादी विचारधारा से भारत की विदेश नीति प्रभावित है। भारतीय संविधान की धारा 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्त्वों में विदेश नीति के निर्धारण मे इसका प्रभाव स्पष्ट है। हडसन के शब्दों में, "गांधी के शान्तिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शान्ति 'समझोता से स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत का यह कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षो से अलग रहे और उनमें मध्यस्य का कार्य करे।" महात्मा गाँधी के अतिरिक्त भारत की विदेश नीति गौतम बुद्ध और अशोक की अहिंसा, अकबर और शिवाजी की सहिष्णुता, अरविन्द, टैगोर और एम. एन. राय के मानवतावादी विचारों से भी प्रभावित है।

(4) आर्थिक तत्त्व :

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भारत का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जब वह सभी देशो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखे। इसीलिए भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। निर्गुट रहने के कारण ही भारत को दोनो गुटो से पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही है। जे. वन्द्रो उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'दि मेकिग ऑफ इण्डियाज फॉरन पॉलिसी' में भारत की विदेश नीति के आर्थिक आयाम बताये है उनमें तीन प्रमुख है–सुरक्षा, विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

(5) सैनिक तत्त्व :

भारत सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था, वह अण्नी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है। इसीलिए भारत महाशक्तियों से मैत्री सम्बन्ध बनाये रहा है। अब भी भारत अपने सैनिक साजो–सामान के लिए विदेशों पर बहुत कुछ निर्भर है।

(6) पं. नेहरू का व्यक्तित्व :

पं. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री और विदेशमन्त्री दोनों ही थे। ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासीवाद के विरोधी थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत को अलग रखने के पक्ष में थे। ये विचार आज भी भारत की विदेश नीति के आचार है।

(7) राष्ट्रीय हित :

पं. नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि, "किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है।" भारत के राष्ट्रीय हित दो प्रकार के हैं–स्थायी और अस्थायी। स्थायी राष्ट्रीय हित हैं– देश की अखण्डता और सुरक्षा तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित है– खाद्यान्न, विदेशी पूँजी, तकनीकी विकास, जनता के जीवन स्तर को उठाना एवं आर्थिक समृद्धि आदि।

(8) ऐतिहासिक परम्पराएँ :

भारत को अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास है। भारत की नीति सदैव शान्तिप्रिय रही है। भारत ने किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। यह ऐतिहासिक परम्परा भारत की वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं: जैसे– शान्ति, समन्वय और सहिष्णुता है जो प्राचीन भारतीय इतिहास की देन हैं।

(9) उपनिवेश :

विरोधी भावना शताब्दियों तक विदेशी शक्ति के आधीन रहने के कारण भारत को यह कटु अनुभव है कि विदेशी शासन देश के विकास के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए भारत ने स्वतन्त्र होने के पश्चात् प्रत्येक पराधीन देश में स्वाधीनता आन्दोलन को अपनी सहानुभूति प्रदान की। भारत में ट्यूनिस, साइप्रस, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, नामीबिया आदि राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का संयुक्त राष्ट्रसंघ में सदैव समर्थन किया। भारत ने नामीबिया में दक्षिणी अफ्रीका को सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली रंगभेद की नौति की कटु आलोचना की है।

(10) विश्व शान्ति के प्रति दृष्टिकोण :

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

पं. नेहरू ने 17 अक्टूबर, 1949 को कोलम्बिया विश्वविद्यालय (अमरीका) में सम्बोधित करते हुए कहा था, "विश्व शान्ति का अनुसरण करना, किसी बड़ी शक्ति अथवा गुट के साथ संलग्न नहीं होगा वरन् विवादपूर्ण मामलों में स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाना, आधीन जातियों को स्वतन्त्रका व्यक्तिराष्ट्रीय स्वतन्त्रता को बनाये रखना, प्रजातीय भेदभाव को दूर करता तथा भूख बीमारी एवं निरक्षरता को दूर करना भारत की विदेश नीति के मुख्य आधार है।"

भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त (Main Principles of India's Foreign Policy) भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित है[2]

(1) गुट निरपेक्षता (Non & Alignment) :

गुट निरपेक्षता या असंलग्नता भारत को विदेश नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण और विलक्षण सिद्धान्त है।

सकारात्मक रूप से गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है एक स्वतन्त्र विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे सक्रिय योगदान, प्रत्येक मामले को उसके गुण–दोषो के आधार पर जांचना तथा भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय केन्द्र। नकारात्मक रूप से उसका तात्पर्य है– शीत युद्ध सन्धियों तथा शक्ति राजनीति से दूर रहना। एम. एस. राजन के शब्दों में, "विशेषतया तथा नकारात्मक रूप से गुट निरपेक्षता का अर्थ राजनीतिक या सैनिक सन्धियों की अस्वीकृति, सकारात्मक रूप से इसका अर्थ या विषय के लाभी के आधार पर जब कभी भी या जैसी आवश्यकता हो, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओ पर "तदर्भ निर्णय लेना।" गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ सकारात्मक है अर्थात् जो सही और न्यायसंगत है उसकी सहायता और समर्थन करना तथा जो अनीतिपूर्ण एवं अन्यायसंगत है उसकी आलोचना एवं निन्दा करना। अमरीकी सीनेट में एक बार पं. नेहरू ने कहा था कि, यदि स्वतन्त्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अयवा कहीं आक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो आज तटस्थ रह सकते है और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे।"

(2) साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध (Opposition to Imperialism and colonialism) :

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणामों से परिचित रहा। अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक है। पं. नेहरू ने ब्रुसेल्स (Brussels) में एक सम्मेलन में कहा था कि, "साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का संघर्ष मात्र एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है। इसका सीधा प्रभाव कई राष्ट्रों पर पड़ता है। विश्व के किसी भी भाग में साम्राज्यवाद का अस्तित्व भारत को अस्वीकार्य है। भारत के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जीवन–मृत्यु का प्रश्न है।"

(3) नस्लवादी भेदभाव का विरोध (Opposition to Racial Discrimination) :

भारत सभी नस्लों की समानता में विश्वास रखता है तथा किसी भी नस्ल के लोगों से भेदभाव का पूर्ण रूप से विरोध करता है। अपनी स्वतन्त्रता से पहले भारत ने दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति पार्थक्य (Apartheid) को नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ में बराबर यह प्रश्न उठाता रहा है। भारत प्रजाति विभेद का इतना घोर विरोधी या कि उसने दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये थे।

(4) साधनों की शुद्धता (Purity of Means) :

भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं है। भारत की विदेश नीति महात्मा गाँधी के इस सिद्धान्त से प्रभावित रही है कि न केवल उद्देश्य बल्कि उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। भारतीय संविधान के भाग IV में दिये गये नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में अनु. 51 में "राज्य कहा गया है

(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा अभिवृद्धि का,
(ii) राष्ट्री के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का
(iii) सगठित लोगों के, एक–दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का,
(iv) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने इत्यादि का प्रयत्न करेगा।"

(5) पंचशील (Panchsheel) :

पं. नेहरू ने भारत की विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए 'पंचशील' सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। ये पांच सिद्धान्त चीन के लिये वनाये गये थे, जो निम्नलिखित है[3]

(i) एक–दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना,
(ii) अनाक्रमण,
(iii) एक–दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,
(iv) समानता तथा पारस्परिक लाभ,
(v) शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व।

(6) संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व शान्ति के लिए समर्थन (Support for U.N.O. and World Peace) :

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सदस्यों में से एक है। भारत ने सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। तब से लेकर आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के क्रिया–कलापों का समर्थन किया है तथा इनमें सक्रियता से भाग लिया है। पं. नेहरू का विश्वास था कि, "हम संयुक्त राष्ट्रसंघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।[4]

(7) तीसरे विश्व के साथ एकता (Solidarity with the Third World) :

पं. नेहरू भारतीय स्वतन्त्रता को एशिया की उन्नति के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थिति मानते थे। इसलिए उन्होंने एशिया में शान्ति तथा सुरक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया। बाद में यही विचार अफ्रीकी–एशियाई एकता की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। तीसरे विश्व की शान्ति तथा विकास को अवधारणा बाद में जन्मे नये स्वतन्त्र तथा विकासशील राष्ट्रों की अवधारणा बन गई। 7 सितम्बर, 1946 को पं. नेहरू ने अपने भाषण में कहा, "हम एशिया में रहने वाले है तथा एशिया के लोग दूसरों की अपेक्षा दूसरे से अधिक निकट तथा निकटतम है।" (We are of Asia and People of Asia are nearer to us them others-)

(8) सभी के साथ मित्रता (Friendship with all) :

भारत की नीति सभी के साथ शान्ति और मित्रता की है। भारत साम्यवादी और पूँजीवादी सभी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध रखना चाहता है। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ भी मित्रता की नीति अपनायी है। भारत ने पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने के लिए अनेक बार वार्ताएँ की। समझौता एक्सप्रेस, लाहौर बस यात्रा, आगरा वार्ता (अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ के मध्य) इसकी साक्षी है। नेपाल, बंगलादेश तथा श्रीलंका जैसे छोटे राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में कभी– हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि आर्थिक सहायता देकर उनकी आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाने का प्रयास किया है।

(9) भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतन्त्र विदेश नीति (Independent Foreign Policy) :

(based upon National Interest of India) :

भारत ने पिछले वर्षों में गुट निरपेक्षता की जो स्वतन्त्र नीति अपनायी है उसका आधार राष्ट्रीय हित है। इस नीति ने निर्णयों का निर्धारण करते समय आत्मसम्मान तथा स्वतन्त्रता के प्रति आस्था प्रकट की है। नेहरू जी का यह विचार सही था कि किसी भी एक गुट में सम्मिलित होने से दूसरे शक्ति गुट से सहायता प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय हितो को ध्यान में रखकर किसी स्थिति को अपने स्तर पर जांचने व स्वतन्त्र नीति अपनाने के लिए अपने दृढ़ निश्चय पर एक प्रतिबन्ध लगेगा।

(10) निःशस्त्रीकरण का समर्थन (Support for Disarmament) :

भारत सभी प्रकार के शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। इसके लिए जो शस्त्र बनाये जा रहे हैं वे न बनाये और जो बने हुए है उन्हें नष्ट कर दिया जाये। केवल निःशस्त्रीकरण ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को सुदृढ़ बना सकता है। निःशस्त्रीकरण से बचाये गये धन और साधनों के उपयोग से सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है। भारत निःशस्त्रीकरण द्वारा शान्ति लाने के पक्ष में है। भारत का छह NAM देशों के निःशस्त्रीकरण शिखर सम्मेलन को अपने देश में कराने का प्रयास बहुत सफल रहा है।

भारत की विदेश नीति समय के अनुसार बदलती रही है, उसका कारण केन्द्र में किस प्रकार की सरकार है। भारत के एशिया एवं यूरोप के देशो के साथ लोकतंत्रात्मक संबन्ध उदारीकरण पर आधारित है, जिसमें भारत की भावना सभी देशों के साथ व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक है।[5]

संदर्भ सूची :

1. एस. सी. सिंघल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2004 पृ. 256
2. वही पृ. 258
3. वही पृ. 258
4. वही पृ. 262
5. वही पृ. 265

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

बालश्रमिकों पर मानवाधिकार की सार्थक उपादेयत

[1] भास्कर भदौरिया

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड, विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

[2]डॉ. विनय प्रकाश गौड़

[2]प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14911398

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

न्यायोचित सुख सुलभ नहीं
जब तक मानव–मानव को,
चैन कहाँ धरती को तब तक
शान्ति कहाँ इस भव को
जब तक मनुज–मनुज को यह
सुख भाग नहीं सम होगा
शामिल ना होगा कोलाहल
संघर्ष नहीं कम होगा।

रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आज भी प्रासांगिक हैं और तब तक प्रासंगिक रहेंगी जब तक समता और समानता के आदर्श चरितार्थ नहीं हो जाते और इस मानव समता और समानता के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है 'बन्धुआ श्रम'। समाज के विकास में बालश्रमिकों का यह अवरोध केवल भारत में ही नहीं वरन् पूरे विष्व में व्याप्त है और समाज के अस्तित्व के साथ ही इसका जन्म हुआ है।

बालश्रमिक प्रथा ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता के बीच के सम्बन्धों को बतलाता है जो अपने दैनिक जीवन की आर्थिक अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेता है और ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत शर्तों को स्वीकार कर लेता है। समझौते की प्रमुख शर्त यह होती है कि ऋण लेने वाला अपनी सेवाओं या अपने परिवार के सभी सदस्यों की सेवाओं को निश्चित या अनिश्चित समय के लिए 'बंधक' या गिरवी रखने को सहुमत हो जाता है। 1976 के बालश्रमिक उन्मूलन अधिनियम में बालश्रमिक प्रथा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''बाध्य मजदूरी की वह प्रथा जिसके अन्तर्गत एक कर्ज लेने वाला ऋणदाता को अपनी सेवायें या परिवार के किसी अन्य सदस्य की सेवायें, जो उसका आश्रित हो अर्पित करता है।''

मुख्य विन्दु : बन्धुआ श्रम, समानता, अवरोध, अस्तित्व, ऋणदाता, प्राप्तकर्ता, अधिनियम

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

बालश्रमिक शब्द की परिभाषा 'श्रम पर राष्ट्रीय आयोग' द्वारा इस प्रकार दी गई है—''वह मजदूर को ऋण लेने के कारण किसी निश्चित समय के लिए बन्धक रहता है।" अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपनी 24वीं रिपोर्ट में बालश्रमिक की व्याख्या इस प्रकार की है वे व्यक्ति जो ऋण लेने के कारण अपने ऋणदाताओं के लिए या तो बिना पारिश्रमिक लिए या फिर मामूली पारिश्रमिक लेकर काम करने के लिए बाध्य हों। बालश्रमिक भारत में विभिन्त्र भागों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं. जैसे आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में 'जीथम', गुजरात और मध्यप्रदेश में 'हाली', हैदराबाद में 'बघेला', राजस्थान में 'सागरी', बिहार में 'कमियां' या 'कम्योती', उड़ीसा में 'गोठी', तमिलनाडु में 'पाण्डियाल' केरल में 'आदिया', 'धानिया', 'कटुनेकेन' और उत्तरप्रदेश में 'कोल्टा' कहा जाता है।[प]

अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को सदैव अपने बन्धन में रखने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से मनुष्य के प्रति मनुष्य द्वारा की जाने वाले निर्दयतापूर्ण व्यवहार का द्योतक है। यह किसी विशेष क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है बल्कि सदियों से एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में समाज के अस्तित्व में विद्यमान है। नाम, शैली, समय और स्थान के आधार पर अवश्य बदली हुई मिलती है। गुलाम, दास, कृषिदास और बालश्रमिक भारत में वर्षों तक इस प्रकार का मानव शोषण 'बेगार' या 'रयोट' के नाम से चलता रहा। 'बालश्रमिक' नाम हाल ही की उत्पत्ति है।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, भूमि सुधारों, भूदान आन्दोलन कानून का लागू होना (1976 का बालश्रमिक उन्मूलन अधिनियम) पंचायती राज की स्थापना, सामाजिक कार्य, समूहों की इसमें रुचि का प्रदर्शन, उत्साही व्यक्तियों के उत्साह और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद हम इस बुराई को अपने समाज से नहीं निकाल पाए हैं।[पप] लाखों की संख्या में बालश्रमिकों का वर्तमान में भी शोषण हो रहा है। वे कष्ट और कुण्ठा से भरे हुए आज भी उपेक्षा का बोझ लादे हुए हैं। वास्तव में भारतीय समाज में प्रचलित बालश्रमिक प्रथा समाज के सामन्तवादी अधिश्रेणित समाज का अवशेष है। गत दो—तीन दशकों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज वैज्ञानिकों और सरकार द्वारा बालश्रमिकों में काफी रुचि दर्शाई जा रही है क्योंकि यह प्रथा हमारे समाज के समानतावाद और मानव अधिकारों के आदर्शों के प्रतिकूल समझी जा रही है।

कार्ल मार्क्स ने प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग एक 'शोषक' और दूसरा 'शोषित' वर्ग होता है जिनमें संघर्ष होता है इसी को वर्ग—संघर्ष कहा गया है। मार्क्स के अनुसार वर्ग—संघर्ष एक ऐसा उत्पादन व्यवस्था से पैदा होता है जो समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देती है। इनमें से एक कठिन श्रम करके उत्पादन करता है जैसे दास, अर्द्ध दास, किसान, मजदूर आदि और दूसरा वर्ग उत्पादन के लिए बिना कोई परिश्रम किए बिना कोई काम किए, उत्पादन के बहुत बड़े भाग का उपयोग करता है जैसे दासों के मालिक, सामन्त, भू—स्वामी, पूंजीपति आदि।[पपप] मार्क्स के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति ही शोषण की जड़ है और इसके कारण की मूल रूप में आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं इनमें से एक वर्ग के हाथों में अधिक उत्पादन के समस्त साधन केन्द्रीकृत हो जाते हैं, जिनके बल पर वह शोषित और कमजोर वर्ग का शोषण करता आया है। इन वर्गों में समाज की अब तक की प्रत्येक अवस्था में (आदिम साम्यवाद को छोड़कर) निरन्तर संघर्ष चलता रहा है।[पअ]

कार्ल मार्क्स का दर्शन भी मानता है कि समाज के विकास का स्वरूप भी द्वन्द्वात्मक और भौतिकवादी है। मार्क्सवाद में समाज के विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्त का निरूपण किया गया है जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

विषय वस्तु 'समाज और उसके विकास के नियमों' का अध्ययन करती है। मार्क्स के अनुसार सर्वसाधारण नर–नारियों की मेहनत मानव जाति के जीवन और प्रगति की अनिवार्य नींव है। मानव श्रम के बिना किसी भी प्रकार की व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकती है। 'उत्पादन पद्धति' समाज के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करती है। किसी भी उत्पादन पद्धति में श्रम के बिना, उत्पादक कार्य–कलाप के बिना मानव–जीवन असम्भव हो जायेगा। उत्पादन लोग समाज में संगठित होकर और मिलजुल कर सकते हैं। उत्पादन के लिए मनुष्य एक–दूसरे के साथ निश्चित संघर्ष और सम्बन्ध स्थापित करता है और इन सामाजिक सम्बन्धों के दायरे में प्रकृति पर उनकी क्रिया होती है और उत्पादन होता है। उत्पादन पद्धति तथा वितरण सामाजिक स्वरूप को निर्धारित करते हैं। इसलिए मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर श्रमिक का स्वामित्व चाहता है। ऐसा करने से ही शोषण का अन्त किया जा सकता है।[अ] यदि पूंजीपतियों के हाथ में उत्पादन के साधन रहते हैं तो सदैव श्रमिकों का शोषण होगा।

राजशाही युग में चूंकि मानवीय आधार पर कोई विशेष कानून व्यवस्था नहीं थी। शासक के शब्द ही कानून होते थे, इसलिए निर्बल वर्गों को मानवीय आधारों से वंचित कर देना कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। बाद के सामंतशाही युग में जनता के भारी दबाव के कारण या उनके असंतोष को नियंत्रित रखने के लिए जो कानून बनाये भी गये उनमें भी शासक और शक्ति सम्पन्न वर्गों को मानव अधिकारों के उल्लंघन की काफी छूट मिली हुयी थी। शासक और स्वामी तब भी निर्णायक शक्ति बने रहे। दुनिया को मानवाधिकारों की रक्षा का ध्यान तब आया जब वह राजशाही, सामंतशाही अथवा साम्राज्यशाही व्यवस्था से मुक्त हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का पहला चार्टर सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तो उसने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक चार्टर तैयार किया। इस पर दुनिया के लगभग सभी देशों ने स्वीकृति की मोहर लगायी। चार्टर के अनुच्छेदों में दासता एवं गुलामी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है, इसमें कहा गया है कि आर्थिक दुर्बलता के कारण अथवा शक्ति का प्रयोग कर किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना अपराध है। चार्टर में बड़े लोगों द्वारा कमजोर लोगों से बेगार लेने को भी आपराधिक दायरे में रखा गया है और घोषणा की गयी है कि बेगार प्रथा को पूर्णतया अवैध करार दे दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ–साथ सभी स्वतंत्र देशों ने अपने अलग–अलग संविधान तैयार किये। उनमें भी मनुष्य के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी।[अप]

1950 में जब भारत का संविधान बनाया गया इसमें धारा 23 को स्थापित किया गया जिसमें मानव व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के बलात् श्रम का निषेध कर दिया गया परन्तु इस धारा को प्रभावी बनाने का कोई गम्भीरतम् प्रयत्न नहीं किया गया और इस प्रथा को उखाड़ फेंकने का रास्ता नहीं बन पाया। 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा रहित बलात् श्रम उन्मूलन गोष्ठी का समर्थन नवम्बर 1954 में भारत द्वारा किया गया। भारत के कुछ राज्यों में बालश्रमिक के उन्मूलन के लिये कुछ कानून बनाये गये जैसे बिहार कामियान्ती अधिनियम, 1920 में पारित किया गया। मद्रास एजेन्सी ऋण बन्धन नियम 1940, मध्यप्रदेश के बस्तर में कबाड़ी प्रथा नियम 1943, हैदराबाद भगेला समझौता नियम, 1943, उड़ीसा ऋण बन्धन उन्मूलन कानून 1948, राजस्थान सागरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1961 और बालश्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1975 में केरल में पारित किया गया। अक्टूबर 1975 में अध्यादेश जारी किया गया जिसको फरवरी, 1976 में एक अधिनियम पारित करके स्थानापन्न किया गया जिसे

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

बालश्रमिक व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम कहा गया। 1976 में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कानून को बनाये जाने के बाद से सभी राज्यों के तत्सम्बन्धित कानून निष्प्रभावी हो गए।[अपप]

1976 अधिनियम के अन्तर्गत बालश्रमिकों का पता लगाया जाना, बालश्रमिकों की मुक्ति, अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही जैसे उन ऋणदाताओं के विरुद्ध जिन्होंने कर्जा लेने वालों को समझौते के लिए बाध्य किया। जिला और तहसील स्तरों पर सतर्कता समितियों की बैठकें करना, निर्धारित पंजिकाओं का रखना और मजिस्ट्रेट को न्यायिक अधिकार दिया जाना आदि शामिल हैं। यह अधिनियम बालश्रमिकों के पुनर्वास का भी उल्लेख करता है जिन्हें ऋणदाताओं से मुक्ति मिल गई हो। 1976 अधिनियम को 1985 में संशोधित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि संविदा मजदूर या अन्तर्राज्यीय आव्रजक मजदूर ही बालश्रमिका समझे जायेंगे। यदि वे बालश्रमिक व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम, 1976 की शर्तों को पूरा करते हों। 1976 के इस अधिनियम के क्रियान्वयन में मुख्य समस्या बालश्रमिकों की पहचान करने की है। तहसील एवं जिला स्तर पर प्रशासक अपने क्षेत्रों में बालश्रमिका होने की बात नहीं मानते हैं और न तो ऋणदाता यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी बालश्रमिक उनकी सेवा में है और न ही कोई भी मजदूर यह कहने को तैयार होता है कि उनको लम्बे समय से बालश्रमिक के लिए बाध्य किया जा रहा है। गैर–राजनैतिक सामाजिक संगठन ही बालश्रमिकों की पहचान करने में सफल हो पाते हैं और उनके पुनर्वास हेतु प्रयास करते हैं।

उच्च्वतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने बालश्रमिक को 'परा–जीवधारी' सभ्यता से वनवासी, पशुओं से भी खराब जीवन जीने वाला कहा है, क्योंकि पशु कम से कम आजादी से कहीं भी घूम सकते हैं, भूख लगने पर कहीं भी मुंह मार सकते हैं झपट सकते हैं लेकिन समाज से बहिष्कृत ये लोग बन्धन में रखे जाते हैं और उनकी आजादी भी छीन ली जाती है।[अपपप] उन्हें या तो गन्दे स्थानों में या फिर खुले आकाश के नीचे रहना और जो कुछ मिल जाये उसी को खाकर सन्तुष्ट रहना पड़ता है, भले ही भोजन उनके भूखे पेट को पूरी तरह न भर पाये। कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण वे बन्धन के ऐसे अन्धकारपूर्ण गरीबी और भूख के गड्ढे में धकेल दिए जाते हैं जहाँ से उस निर्दयी, शोषक समाज में उन्हें बचाए जाने की कोई आशा नहीं रहती है।[पग]

अनुमान किया जाता है कि भारत में लगभग 32 लाख बन्धुआ मजदूर हैं। इनमें से 98 प्रतिशत ऋणग्रस्तता के कारण बन्धुआ बने और 2 प्रतिशत परम्परागत या सामाजिक दायित्व के रूप में। इनकी सर्वाधिक संख्या आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में हैं और फिर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में है। यह भी कहा गया है कि अधिकतर बालश्रमिक गाँवों में कृषि मजदूर के तौर पर कार्य करते हैं और या तो अनुसूचित जाति या जनजातीय समुदायों के होते हैं, 42 प्रतिशत किसानों की तरह काम करते हैं और 25 प्रतिशत कृषि श्रमिकों की तरह। अकुशल और असंगठित होने के कारण कृषि मजदूरों के पास अपने व्यक्तिगत श्रम के अतिरिक्त अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं होता। बन्धुआ कृषि मजदूर ग्रामीण समाज में सबसे निचले स्तर के होते हैं। गाँव का सामाजिक और आर्थिक स्तरीकरण भूमि और जाति से जुड़ा होता है जो कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर नियंत्रण करता है।[ग] इस प्रकार बालश्रमिक दयनीय दशा में रहते हैं। इनका सामाजिक शोषण होता है क्योंकि सिद्धान्त रूप में उन्हें भोजन तथा कपड़ा, तम्बाकू मिलने का तो आष्वासन प्राप्त होता है लेकिन व्यवहार

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

में उन्हें परिवार में बचा हुआ भोजन और वस्त्र ही मिलता है। उनसे 12 से 14 घण्टे प्रतिदिन काम लिया जाता है और गाय भैंसों के तबेले में रहने को बाध्य होना पड़ता है। बीमार पड़ने पर अपने सेवा योजक की दया होने पर स्थानीय हकीम से दवाई मिल जाती है।

बालश्रमिकों के कष्टों की तस्वीर 1984 में श्रीलंका से आए कोड़ाईकेनाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, विस्थापित बालश्रमिकों की दशा का उदाहरण देकर पेश किया जा सकता है। बालश्रमिकों की दुर्दशा एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में जारी है और जनता, सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सभी के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। यदि 17 लाख अपराध प्रतिवर्ष जिनके लिए लगभग 26 लाख व्यक्तियों को आई.पी.सी. के तहत् गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय समाज के लिए गम्भीर माने जाते हैं तो 30 लाख बालश्रमिकों की मुक्ति भी महत्त्वपूर्ण समस्या के रूप में देखी जानी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि धन से सहायता करने वाले विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा अनुसंधान प्रायोजित किए जायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या का विस्तार और लक्षण क्या है, पहचान में कठिनाइयों की जाँच हो सके, विविध पुनर्वास योजनाओं की क्या उपयोगिता है. केन्द्र, राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच समन्वित क्रियाकलापों का बनाना, 1976 अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता, सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही का निर्धारण किया जाना और मुक्त मजदूरों की उत्तररक्षा कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। जब तक बालश्रमिकों को स्वार्थी तत्वों के शोषण से बचाने के गम्भीर प्रयास नहीं किए जाते तब तक यह समस्या समाज के लिए एक परेशानी का कारण बनी रहेगी। कानूनों के माध्यम से बन्धुआ, मजदूरी का सम्पूर्ण उन्मूलन भविष्य में सम्भव न भी हो, फ़िर भी विधान का सहारा न लेना उनकी दशा को और भी दयनीय बना सकता है।[गप] निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी जो बालश्रमिक के मूल कारण हैं, इनको समाप्त करना भी कोई आसान काम नहीं है। बालश्रमिकों के लिए भविष्य की योजनाएँ, कार्यक्रम और प्रोजेक्ट बनाने में विभिन्न स्तरों पर विस्तृत दृष्टिकोण और ठोस कार्यवाही की आवश्यकता होगी।

सन्दर्भ सूची

1. अष्विनी कान्त गौतम, ह्यूमन राइट्स एण्ड जस्टिस सिस्टम, ए.पी.एच., पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, दिल्ली 2001.
2. आहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1995.
3. बजवा, जी.एस., भारत में मानवाधिकार, क्रियान्वयन तथा उल्लंघन, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1955.
4. गुप्ता सुभाष चन्द्र, कार्यशील एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2004.
5. जौहरी, जे.सी. ह्यूमन राइट्स एण्ड न्यू वर्ल्ड आर्डर टुवर्ड्स परफेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1996.
6. कपूर, सुधीर, ह्यूमन राइट्स इन ट्वन्टी फर्स्ट सैन्चुरी, मंगलदीप पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

7. लोखाण्डे, जी.एस. भीमराव अम्बेडकरः ए स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, इन्टैलेक्चयुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1977.

8. महापात्रा, अरूण रे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इण्डिया, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001.

9. मित्रा, प्रमोद, ह्यूमन राइट्सः ग्लोबल इश्यूज, कल्पज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2000.

10. माधुर, कृष्ण मोहन, स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानवाधिकार, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000.

11. रत्नू, कृष्ण कुमार, भारतीय दलित और मानवाधिकार, बुक एन्कलेव, जयपुर, 2002.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भारत का पाकिस्तान पर पड़ने वाला उदारीकरण नीतियों का प्रभाव

[1]गीता पाल

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान,अमर शहीद चन्द्रषेखर आजाद,शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

[2]डॉ. ऊषा त्रिपाठी

[2]प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान,अमर शहीद चन्द्रषेखर आजाद,शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14911433

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

नई आर्थिक नीति में जुलाई, 1991 के बाद से किये गये विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है।ः

भारत ने समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुनकर अप्रैल, 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की यात्रा शुरू की थी। अब तक आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा सात वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन साढ़े चार दशकों में हमें यद्यपि सफलताएँ मिली है. तथापि अपेक्षित स्तर तक विकास करने में हम पीछे रह गये हैं। देश के आर्थिक कलेवर में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं आ सका। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत रखकर भारत ने भी अपने आर्थिक विकास की नीति में सुधार का घोड़ा 1991 में उठाया और इस नीति को नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया है। नयी आर्थिक नीति के अन्तर्गत किये गये उपाय संक्षेप में निम्नलिखित है–

(i) नियन्त्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, (iii) विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, (iv) उत्पादन की उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करना, (v) कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन, (vi) व्यापार नीति, मौद्रिक नीति तथा राजस्व नीति में व्यापक परिवर्तन, (vii) राजकोषीय घाटे पर नियन्त्रण। इन सभी उपायों को नई आर्थिक नीति कहा जाता है।

मुख्य बिन्दु : अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, नई आर्थिक नीति, क्रान्तिकारी परिवर्तन

नई आर्थिक नीति का अर्थ

रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन के अनुसार, ःनई आर्थिक नीति में जुलाई, 1991 के बाद से किये गये विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं। इन सभी उपायों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है। विविध नियन्त्रणों वाले विनिमय तन्त्र की, चाहे वह निजी क्षेत्र में क्यों न हों, क्षमता बिखर जाती है और प्रतियोगिता का स्तर भी घट जाता है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतियोगी वातावरण तैयार करना है, ताकि प्रणाली की उत्पादकता तथा कुशलता में सुधार हो। भारत तथा पाकिस्तान की आर्थिक नीतियाँ प्रत्यक्ष एवं आप्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक तर्कसंगत रही हैं जिसका प्रभाव विदेश नीतियों पर पड़ा है।

नई आर्थिक नीतियों की विशेषताओं को नये आर्थिक सुधारों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नये आर्थिक सुधार मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं–

(i) उदारीकरण (Liberalisation).

(ii) निजीकरण (Privatisation).

(iii) विश्वव्यापीकरण (Globalisation)।

उदारीकरण (LIBERALISATION)

उदारीकरण का अर्थ–उदारीकरण का आशय नियमों व प्रतिबन्धों में बोल देने या उदारता बरतने से है। जब सरकार औद्योगिक नीति, श्रम नीति, आयात–निर्यात नीति, कर नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग, उत्पादन तथा वितरण में प्रतिबन्धों को हटाती है तो इसे उदारीकरण की नीति कहा जाता है।[प] उदारीकरण की नीति का औपचारिक एवं अनऔपचारिक प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ता है।

उद्देश्य–उदारीकरण की नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार तथा उत्पादन क्षमता में विकास करना।
2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
3. वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होना।

उदारीकरण के गुण (Merits of Liberalisation)

उदारीकरण के निम्नलिखित गुण है–

1. उदारीकरण से निजीकरण (Privatisation) को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न नियमों व प्रणालियों में सरलता आने से निजी उद्यमियों को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है।
2. उदारीकरण से नयी प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का देश में आपात सरल हो जाता है और विभिन्न उद्यमी विश्व में श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं।
3. विभिन्न व्यवसायियों को आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है।
4. उदारीकरण की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्यमियों को व्यापार की ओर आकर्षित करती है जिससे कम–से–कम कीमत पर वस्तु का उत्पादन आवश्यक हो जाता है जिससे उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं।
5. उदारीकरण से विभिन्न सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध तन्त्र को अपनी कार्यकुशलता के प्रति सचेत रहना पड़ता है।

भारत की उदारीकरण नीति का पाकिस्तान पर प्रभाव[प]

भारतवर्ष में उदारीकरण नीति का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं–

1. **नरम उदारीकरण नीति** (1885–1991) – भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी द्वारा सत्ता संभालने के साथ सन् 1985 से ही उदारीकरण का युग प्रारम्भ हुआ। उदारीकरण के क्रम में किये गये प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार थे–

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

(i) मार्च, 1985 में सरकार ने 25 बड़ी श्रेणी के उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने की घोषणा की।

(ii) **एम. आर. टी. पी.** (एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम) और फेरा (विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम) के अन्तर्गत आने वाले 22 उद्योगों को लाइसेन्स लेने क को आवश्यकता से मुक्ति दी गयी और एम. आर. टी. पी. कम्पनी की पूँजी सीमा 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपये कर दी गयी।

(iii) जून, 1985 में 82 औषधियों एवं उससे सम्बन्धित औषधीय फार्मूलों को भी लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया।

(iv) छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए पूँजी सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दी गयी। सहायक उद्योगों (Ancillary Industries) के लिए यह सीमा 45 करोड़ रुपये कर दी गयी।

(v) 100 प्रतिशत निर्यात–उन्मुख यूनिटों (Export -oriented Units -EOUs) की लाइसेसिंग को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।

1985–91 की अवधि के दौरान उदारीकरण का यह क्रम जारी रहा। औद्योगिक विस्तार व आधुनिकीकरण के वास्ते सभी इकाइयों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन व छूटे दी गयी परन्तु हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। यह आवश्यक समझा गया कि औद्योगिक नीति के फ्रेम वर्क में थोड़े–बहुत परिवर्तन करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि हमारी आर्थिक नीतियों और औद्योगिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन किये जाये। इसी पृष्ठभूमि में जुलाई, 1991 में नई आर्थिक नीति का शुभारम्भ किया गया।[पपप]

2. गहन उदारीकरण नीति (1991 के बाद की अवधि) – 1991 के दशक के प्रारम्भ में नरसिंह राव सरकार के आगमन के साथ ही नई आर्थिक नीति में औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय, मौद्रिक इत्यादि क्षेत्रों में उदारीकरण का प्रसार किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने और देश की अर्थव्यवस्था को निजीकरण की ओर मोड़ने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये, जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं–

(अ) व्यापार नीति में उदारीकरण– एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमे विदेशो व्यापार पर विनिमय और लाइसेन्स नियन्त्रण (Exchange and Licensing Controls) की मात्रा को कम करने के साथ–साथ निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया जाय। व्यापार नीति में बहुत से नये उपाय भी किये गये हैं। जैसे– (i) रुपये के मूल्य में 18 प्रतिशत का अवमूल्यन किया गया। (ii) निर्यातको के लिए अग्रिम लाइसेंसिग प्रणाली को सरल बनाया गया। (iii) पूँजीगत माल के आयात की अनुमति दी गयी। (iv) व्यापारिक घरानों मे 51 प्रतिशत तक विदेशी पूँजी लगाने की अनुमति दी गयी। (v) खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) के अन्तर्गत पूँजीगत माल, कच्ची सामग्रियों और संघटकों के आयात के लिए उपयोगकर्ता की वास्तविक आवश्यकता की शर्त को हटा दिया गया। (vi) आयात–निर्यात 1997–2000 व आयात–निर्यात नीति 2000–2001 को घोषणा की गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य निर्यात–उत्पादन के लिए आयातों को उदारीकृत करना था।[पअ]

(ब) उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली– देशी व्यापार की दिशा में उदारीकरण का एक बहुत महत्त्वपूर्ण कदम यह था कि मार्च, 1992 में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय और मार्च, 1994 में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया।

उदारीकरण नीति के अन्तर्गत सरकार ने चालू खाते के लिए स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली लागू कर रखी है। इस नीति के कारण आयातो में कमी होने की सम्भावना है क्योंकि आयात का मूल्य चुकाने के लिए आयातकर्ता को विदेशी मुद्रा खुले बाजार से क्रय करनी पड़ती है, जो सीमित मात्रा में है। इसका कारण यह है कि हमारे निर्यात, आयातों से कम है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

(स) औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण– उदारीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भी मूलभूत परिवर्तन किये गये– (i) 15 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। (ii) मौजूदा उद्योगो को बिना किसी अतिरिक्त पूँजी विनियोग के अपने लाइसेस प्राप्ति क्षेत्र की किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी। (iii) सभी मौजूदा उत्पादन इकाइयों की विस्तार परियोजनाएँ लागू करने के लिए भी किसी लाइसेन्स की जरूरत नहीं होगी। (iv) एम. आर. टी. पी. (एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार) कम्पनियों की सम्पत्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। (v) डी. जी. टी. डी. औद्योगिक विकास निदेशालय सहित सभी वर्तमान उद्योग, पंजीकरण कार्यक्रम व योजनाएँ समाप्त कर दी गयीं।

(द) विदेशी विनियोग नीति में उदारीकरण–विदेशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए कई उपाय रखे गये हैं; जैसे– (i) उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योगों में 51% तक विदेशी विनियोग की अनुमति बिना किसी रोक–टोक के प्रदान की जायेगी। यह सुविधा उन मामलों में ही उपलब्ध होगी, जहाँ उत्पादन के लिए विदेशी पूँजी आवश्यक होगी। (ii) यदि सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए हो तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 100% तक पूँजी विनियोग की अनुमति भी दी जा सकती है। (iii) राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1993 को जारी किये गये एक अध्यादेश के द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को काफी उदार बना दिया गया। जून 2000 से फेरा (FERA) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (FEMA) लागू कर दिया गया है। (iv) अनिवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) तथा उनके पूर्ण स्वामित्व वाले विदेशी निर्गमित निकायों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा अन्य उद्योगों में शत–प्रतिशत विदेशी विनियोग करने की अनुमति है तथा इस प्रकार किये गये पूँजी विनियोग तथा उस पर होने वाली आय को प्रत्यावर्तित करने के सम्पूर्ण लाभ दिये जायेंगे।

(य) सरकारी क्षेत्र में उदारीकरण– सार्वजनिक क्षेत्र ने आशा के अनुकूल कार्य नहीं किया। अतः इस क्षेत्र की औद्योगिक भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कई कदम उठाये गयेः जैसे–अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी, जिसे घटाकर 8 कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों द्वारा सरकारी शेयर पूँजी के कुछ भाग को वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा कर्मचारियों में बेचने का प्रावधान किया गया।

उदारीकरण नीति के परिणाम (Effects of Liberalisation Policy)

भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में अपनायी गयो उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके सकारात्मक परिणाम उभरने लगे हैं, जो निम्नलिखित है–अ

1. औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर – निजीकरण के प्रारम्भ में सन् 1991–92 में औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर जहाँ मात्र 0.6 प्रतिशत थी, वह 1992–93. 1993–94 तथा 1994–95 में बढ़ती हुई क्रमशः 2.3.6.0 तथा 94 प्रतिशत हो गयी। यही नहीं, वर्ष 1995–96 में तो औद्योगिक विकास का यह प्रतिशत बढ़कर 11–7 तक पहुंच गया, किन्तु इसके बाद यह वृद्धि दर 1996–97 व 1997–98 में क्रमशः 7–1 तथा 4.2 प्रतिशत रह गयी किन्तु इसे अभी मन्दी का आरम्भ नहीं माना जा सकता। औद्योगिक उत्पादन की संचयों वृद्धि अप्रैल–दिसम्बर 1999 के लिए 62% थी जो अप्रैल–दिसम्बर 1998 के 3–7% की अपेक्षा यहुत अधिक है।

2. मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण– मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण लगा है। 1990–91 में देश में मुद्रा स्फीति को दर 17% वार्षिक थी जो 1998–99 में घटकर 4–5% वार्षिक हो गयी।

3. विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि–जून 1992 में जहाँ भारत का विदेशी विनिमय भण्डार मात्र 1.100 मिलियन डालर था, वह दिसम्बर, 1999 को बढ़कर 34,935 मिलियन डालर हो गया।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

4. निर्यात में वृद्धि– आयात उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत से लोगों ने यह शंका व्यक्त को थी कि इससे आयात व्यय में तेजी से वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जायेगी, परन्तु उदारीकरण से वास्तव में हमारी आत्म निर्भरता में वृद्धि हुई। जहाँ 1980 के दशक के उत्तराद्ध में निर्यात आय आयात व्यय के 60% की भरपाई कर पाती थी। वहाँ अब निर्यात आय, आयात व्यय के 90% की भरपाई करती है।

5. प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि– भारत में अपनाये गये उदारीकरण के दौर में विदेशी विनियोग प्रवाह में तेजी से प्रगति हुई है। भारत में कुल विदेशी विनियोग प्रवाह वर्ष 1996–97 में तेजी से बढ़कर 6–01 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो वर्ष 1998–99 में घटकर 2–401 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

6. स्थिर व मजबूत विनिमय दर– रुपये की विनिमय दर मजबूत व स्थिर बनी रही है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। फलतः सरकारी व कानूनी माध्यमों से विदेशी विनिमय का आगमन बढ़ा है, जबकि पहले गैर–कानूनी व हवाला माध्यमो से काफी लेन–देन होता था।

7. भारतीय उद्योगों पर प्रभाव वैश्वीकरण ने समान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों और कमजोर भारतीय उद्यमों के चीच होने के कारण भारतीय उद्यम समाप्त होते जा रहे हैं।

श्री लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमन्त्री बनों। पाकिस्तान ने अपनी भारत विरोधी नीति जारी रखी। उसने 3 दिसम्बर, 1971 को भारत पर अचानक हो भीषण हवाई आक्रमण कर दिया। इससे पहले 30 जनवरी, 1971 को भारत का एक हवाई जहाज अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके उसके हवाले करने को कहा और कहा कि वह हवाई जहाज को वापस कर दे। लेकिन 2 फरवरी, 1971 को अपहरणकर्ताओं ने उस जहाज में आग लगा दी। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और बदले में पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश से होकर उड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

भीषण हवाई आक्रमण कर दिया और 4 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान के राजपत्र में यह छप गया कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्धरत है। भारत ने कड़ाई से इसका सामना किया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही मोर्चों पर जल, थल और नभ पर पाकिस्तान के सैन्य तन्त्र को भीषण क्षति पहुंचायी। पश्चिमी मोर्चों पर भारतीय सेना तथा 'मुक्तिवाहिनी' की संयुक्त कमान ने भारतीय ले. जनरल जगजीत सिह अरोड़ा के नेतृत्व में कहर बरपा दिया। सुरक्षा परिषद् की 5 दिसम्बर को आपातकालीन बैठक बुलायी गयी जिसमे पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में मुक्तिवाहिनी को सहायता देकर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रहार कर रहा है। भारत के प्रतिनिधि समर सेन ने पाक आरोपी का तीव्र खण्डन किया। भारत तथा पाकिस्तान के विभिन्न उदारीकरण की नीतियाँ समय–समय पर परिवर्तित होती रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एस. सी. सिंघल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा 2004 पृ. 238
2. वही पृ. 239
3. वही पृ. 240
4. वही पृ. 240
5. वही पृ. 241

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

माध्यमिक शिक्षा के विकास में शिक्षा नीति का योगदान

[1]राकेश कुड़ेरिया

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
अमर षहीद चन्द्रष्शेखर आजाद
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

[2]डॉ. विनय प्रकाश गौड़

[2]प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
अमर षहीद चन्द्रष्शेखर आजाद
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14911476

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 10 के साथ शुरू होती है। इसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 11 तथा 12 आती हैं। यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य सेतु का काम करती है तथा 14 से 18 आयु वर्ग के नवयुवकों को कार्यक्षेत्र या उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रवेश 1950 में 15 लाख से बढ़कर 1998–99 में 2.78 करोड़ हो गये। इन छात्रों के अध्ययन हेतु करीब 1.10 लाख माध्यमिक स्तर के संस्थान कार्यरत हैं। लेकिन फिर भी दो तिहाई बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। हालांकि वर्ष 2001 की जनगणना साक्षरता दर की आशाजनक तस्वीर पेश करती है, जो 1991 में 52.21 से बढ़कर 2001 में 65.38 हो गयी। लेकिन राज्यों के बीच अन्तर अब भी गम्भीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। देश में माध्यमिक शिक्षा के योग्य युवा अब भी कुल आबादी का पाँचवा हिस्सा हैं। 2011 से 2021 मक माध्यमिक षिक्षा का क्रमोत्तर विकास हुआ।

मुख्य बिन्दु : माध्यमिक शिक्षा, संस्थान, कुल आबादी

भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास (क्मअमसवचउमदज वf`मबवदकंतल म्कनबंजपवद पद प्दकपंद्ध स्माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान कराने के लिए किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के विकास का इतिहास निम्नलिखित प्रकार दर्शाया गया है–

(i) 1835 ई. से 1854 ई. तक सन् 1835 ई. के लार्ड मेकाले के विवरण पत्र ने माध्यमिक शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया। सन् 1844 में राजपदों के द्वार भारतीयों के लिए खोल दिये गये। परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक शिक्षा का तीव्रता से विकास हुआ। सन् 1852 ई. में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3200 हो गयी।

(ii) 1854 ई. से 1904 ई. तक सन् 1854 ई के वुड के घोषणा–पत्र ने माध्यमिक शिक्षा के विकास में महान योगदान दिया। घोषणा–पत्र में माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण तथा अनुदान प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गयी, ताकि ये

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अधिकाधिक संख्या में बढ़ सकें। इस काल में माध्यमिक शिक्षा में जो दोष आ गये थे, उन्हें हण्टर आयोग (1882 ई) ने दूर करने हेतु सिफारिशें की। इस आयोग ने हाईस्कूल के शिक्षा पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभक्त करने का सुझाव दिया। वर्ष 1882 तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3916 थी, यह संख्या 1902 ई. में 5124 तक पहुँच गयी।[1]

(iii) 1904 ई. से 1917 ई. तक इस काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास तो हुआ पर इसमें दोष अधिक आते गये। उनको दूर करने के लिए 1904 ई. में 'भारतीय विष्वविद्यालय अधिनियम' ने विष्वविद्यालयों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे उन माध्यमिक विद्यालयों के नियम बना सकते हैं जो अपने छात्रों को विष्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक परीक्षा में भेजना चाहते हैं। इससे कई अवांछनीय माध्यमिक विद्यालय बन्द हो गये। शिक्षा के विकास हेतु सन् 1905 से आन्दोलन हुआ और 1922 ई. तक अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण हुआ।

(iv) 1917 ई. से 1947 ई. तक सन् 1917 ई. में कलकत्ता आयोग ने यह सुझाव दिया कि जब तक माध्यमिक शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जायेगा तब तक विष्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार होना असम्भव है। आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाय। सन् 1936–37 ई. की ऐबट–वुड रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। सन् 1944 ई. में सार्जेण्ट रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि 11 वर्ष की आयु से पहले किसी को हाईस्कूल में प्रवेश न दिया जाय और साहित्यिक एवं प्राविधिक हाईस्कूलों की स्थापना की जाय। विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने सिफारिशें कीं, दोषों को दूर करने के लिए भी सुझाव दिये परन्तु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ। सन् 1916–17 ई. में भारत में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4883 थी, जिनमें 9,24,770 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। 1947–48 ई. में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 12,963 हो गयी और छात्रों की संख्या 29,53,995 हो गयी।[2]

(v) स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा–1948 से आगे के काल में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ। इस शिक्षा में सुधार के भी अनेक प्रयास किये गये। इन दोषों को दूर करने के लिए तथा उसमें गुणात्मक विकास के लिए अनेक आयोगों ने अपने–अपने सुझाव दिए। उनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार किया जा सकता है–

(प) ताराचन्द समिति (1948 ई.) ताराचन्द समिति ने माध्यमिक शिक्षा को बहुमुखी बनाने हेतु सुझाव दिया परन्तु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकमुखी शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उसने माध्यमिक शिक्षा के दोषों की जाँच हेतु एक आयोग के गठन की आवश्यकता पर बल दिया।

(पप) विष्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948 ई.) विष्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य कार्य विष्वविद्यालय शिक्षा की जाँच करना था परन्तु उसने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये। आयोग ने यह मत प्रकट किया कि शिक्षा की सम्पूर्ण संरचना के मध्य माध्यमिक शिक्षा ही सबसे निर्बल कड़ी है। आयोग ने सुझाव दिया कि स्कूलों और इण्टर कॉलेजों में 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात् छात्रों को विष्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(पपप) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53 ई.) ताराचन्द समिति' तथा 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की सिफारिशों के फलस्वरूप शिक्षा आयोग का गठन हुआ। जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये। आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा जीवनोपयोगी नहीं है, वह एकपक्षीय तथा संकुचित है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुर्नसंगठन एवं सुधार के लिए निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये–

(अ) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और पाठ्यक्रम। (ब) माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक बेसिक और उच्च शिक्षा से सम्बन्ध। (स) भिन्न–भिन्न प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा (द) माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अन्य समस्याएँ। आयोग ने शिक्षण पद्धति को दोषपूर्ण बताया और कहा कि वह छात्रों के वास्तविक ज्ञान का परीक्षण करने में समर्थ नहीं है। पाठ्यक्रम में भी आवश्यक सुधार होना चाहिए, ताकि वह छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन

तथा परस्पर सभी शैक्षिक स्तरों की व्यवस्था– पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा विषयों में घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। **आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को दो भागों में विभक्त करने हेतु कहा[3]–**

(प) 3 वर्ष तक जूनियर माध्यमिक शिक्षा,

(पप) 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

वर्तमान इण्टरमीडिएट को हटाकर उसका एक वर्ष माध्यमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में और एक वर्ष विष्वविद्यालय के डिग्री कोर्स में मिला दिया जाय। डिग्री कोर्स 3 वर्ष का कर दिया जाय और इण्टर कॉलेजों से विष्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक वर्ष का पूर्व विष्वविद्यालय कोर्स रखा जाय।

आयोग ने शिक्षण पद्धति के बारे में कहा कि–

(अ) शिक्षण पद्धति का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति ही न होकर छात्रों में उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए। (ब) यथासम्भव क्रियात्मक पद्धति (।बजपअपजल डमजीवक) और योजना पद्धति (च्तवरमबज डमजीवक) को प्रमुखता दी जाय। (स) विद्यालयों में सामूहिक खेलों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शिक्षा का अभिन्न अंग समझते हुए अध्यापकों एवं छात्रों के लिए इसमें भाग लेना अनिवार्य कर दिया जाय। (द) विद्यालय के प्रत्येक कार्य में चरित्र–निर्माण की शिक्षा दी जाय। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का गठन बालक के बहुमुखी विकास हेतु किया जाना चाहिए।

(पअ) कोठारी आयोग, (1964 ई.) कोठारी आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। आयोग ने पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता लाने तथा शिक्षण पद्धतियों में नवीनता लाने पर विशेष बल दिया। आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं के अध्ययन हेतु बल दिया। आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का कार्य–काल 8 वर्ष रखा जाय। इनमें 5 वर्ष निम्न माध्यमिक स्तर के लिए हों और 3 या 2 वर्ष उच्च माध्यमिक स्तर के लिए रखे जायें। आयोग का सुझाव था कि 10 वर्ष की शिक्षा के उपरान्त ही हाईस्कूल की परीक्षा होनी चाहिए और इस प्रकार की परीक्षा को पास करने के पश्चात् ही उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 50ः को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। आयोग ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करके पाठ्यक्रमों में कार्य अनुभव को विशेष महत्त्व प्रदान करने पर बल दिया। बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम में गृह–विज्ञान, संगीत और ललित कलाओं को स्थान देने की बात कही। माध्यमिक स्तर तक आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया।[4]

(अ) नवीन शिक्षा नीति, (1986)– इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत पूरे राष्ट्र में एक सो शिक्षा प्रणाली 10 + 2 + 3 पर जोर दिया गया है। 10 स्तर पर सभी विषय अनिवार्य है। + 2 पर वैकल्पिक विषय वर्ग (विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि एवं ललित कला) के रूप में हैं तथा + 3 स्तर पर व्यावसायिक धारा में 10 उत्तीर्ण कमजोर छात्रों का प्रावधान है।

माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप[5]

Structure of Secondary Education

भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसके निम्नलिखित आठ स्वरूप बताये हैं–
264 भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास

1. उच्च प्राथमिक या मिडिल कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा ।

2. माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक स्तर पर दो रूपों में शिक्षा की व्यवस्था है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

(प) जूनियर स्तर।

(पप) हाईस्कूल स्तर।

3. हायर सेकेण्डरी स्कूल—इनमें 3 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था है। यह शिक्षा का आधुनिक रूप है।

4. उच्च शिक्षा—कुछ राज्यों में डिग्री का पहला वर्ष या प्री—यूनिवर्सिटी माध्यमिक शिक्षा

के अन्तर्गत आता है।

5. इण्टर कॉलेज—इनमें 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है—11 एवं 12 सैडलर आयोग द्वारा इस पाठ्यक्रम का प्रचलन हुआ था।

6. व्यावसायिक कॉलेज—माध्यमिक स्तर हाईस्कूल तथा इण्टर के बाद टेक्नोलॉजी, मेडीसन, वेटेनरी, कृषि एवं वाणिज्य आदि में व्यावसायिक कॉलेज हैं।

7. प्राविधिक संस्थान—आई. टी. आई. तथा पॉलिटेक्निक संस्थान भी इसी स्तर पर आते हैं।

8. पॉलिटेक्निक—इन संस्थाओं में हाईस्कूल या इसके समकक्ष योग्यता वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इनमें घरेलू विज्ञान, होमक्राफ्ट, सेक्रेटोरियल, प्रेक्टिस टेक्नोलॉजी, आर्ट एण्ड क्राफ्ट आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित रूप में माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तावित किया था। आयोग के अनुसार विस्तृत रूपरेखा का ध्यान रखते हुए माध्यमिक शिक्षा की नवीन संरचना प्राथमिक अथवा जूनियर बेसिक विद्यालय की 4 या 5 वर्ष की शिक्षा के पश्चात् आरम्भ हो, जिसे निम्नलिखित प्रकार दर्शाया जा सकता है—[प]

(1) इसमें मिडिल स्कूल या जूनियर सेकेण्डरी या सीनियर बेसिक स्तर पर 3 वर्ष का पाठ्यक्रम हो ।

(2) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम हो। आयोग ने प्रचलित इण्टर प्रणाली को उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में बदलने की बात कही है, जो चार वर्ष की हो एवं इण्टर का एक वर्ष इसमें सम्मिलित किया जाय। इसी प्रकार तीन वर्ष का पाठ्यक्रम डिग्री प्राप्त करने के लिए हो। इस प्रकार सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर दो भागों में विभक्त हो जाता है—

(प) कक्षा 6 से 8 तक जूनियर माध्यमिक स्तर।

(पप) कक्षा 9 से 11 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर।

(3) तीन वर्षीय डिग्री कोर्स आयोग ने इण्टर स्तर को समाप्त कर 1 वर्ष की हायर सेकेण्डी तथा तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था की।

(4) माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा हेतु टेक्नीकल संस्थाओं को खोलने की सिफारिश की, फलस्वरूप बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गये।

शैक्षिक स्तरों की व्यवस्था— पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक

शिक्षा 265 आयोग ने इण्टर परीक्षा को दोषपूर्ण बताया है, उसके अनुसार— ''इण्टरमीडिएट परीक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह कॉलेज निरन्तरता को समाप्त करती है एवं डिग्री पाठ्यक्रम के नियोजन को विषम बनाती है। माध्यमिक स्तर पर एक वर्ष जोड़ने से कुशलता बढ़ेगी एवं एक वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने से शैक्षणिक कुशलता का निर्माण होगा। इस प्रकार तीन वर्ष के समय में अनवरत विकास होता रहता है।:

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

कोठारी आयोग के सन्दर्भ में संरचना—माध्यमिक शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं को कई राज्यों ने स्वीकार किया था, परन्तु कोठारी आयोग ने देश में एक सी शैक्षिक संरचना हेतु बल दिया। उसने माध्यमिक स्तर को दो भागों में विभक्त किया है—

(प) निम्न माध्यमिक स्तर— इसमें 8—9 या 9—10 कक्षा है।

(पप) उच्च माध्यमिक स्तर इसमें 11—12 कक्षा है।

आयोग ने इण्टरमीडिएट संज्ञा न अपनाकर हायर सेकण्डरी नाम ही रखा।

'नेशनल सॉलिडेरिटी' ने कोठारी आयोग के इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा है—ः इसने अनवरत शिक्षा का व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है और शिक्षा समरूप होकर विकसित होगी।ः

नई शिक्षा नीति, 1986 के सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा संरचना माध्यमिक शिक्षा अथवा हाईस्कूल स्तर में प् एवं ग् कक्षायें हैं। कुछ राज्यों में टप्प् से ग् कक्षायें सम्मिलित हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अथवा सीनियर माध्यमिक स्तर में कक्षा ग्प् एवं ग्प्प् सम्मिलित हैं। पहले स्तर का उद्देश्य सामान्य शिक्षा प्रदान करना है, जब कि दूसरे का उद्देश्य विविध शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित दस वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम का ढाँचा निम्नलिखित रूप में है—पहले 5 वर्ष प्राथमिक स्तर के लिए, 3 वर्ष उच्चतर प्राथमिक के लिए और 2 वर्ष माध्यमिक स्तर के लिए होंगे। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का यह सामान्य ढाँचा (5 + 3 + 2) सर्वत्र लागू किया जायेगा।

10वीं कक्षा तक सभी विषय अनिवार्य हैं— विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी आदि। माध्यमिक स्तर पर पठन की भाषा (माध्यम) क्षेत्रीय भाषा रहेगी। राष्ट्रीय एकता हेतु त्रिभाषा सूत्र स्वीकृत होगा। तृतीय भाषा दसवीं कक्षा तक रहेगी। 10 स्तर पर 50ः व्यावसायिक शिक्षा एवं 2 स्तर पर शत—प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है। आवश्यकता इस बात की है कि आज देश भर में शिक्षा संगठन को एकरूपता प्रदान की जाय, जिससे राष्ट्रीय एकता तथा समाज की एकता का निर्माण हो सके। माध्यमिक षिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को नई दिषा मिलती है, जिससे उनका सही बौद्धिक विकास हो सके।

संदर्भ सूची

1. वही पृ. 266
2. वही पृ. 263
3. वही पृ. 265
4. वही पृ. 266

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भारतीय लोकतंत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में विकेन्द्रीकरण की समस्या

[1]**प्रदीप सिंह**

[1]शोधार्थी, राजनीति शास्त्र, **डॉ. भगवत सहाय** शासकीय महाविद्यालय,जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर,म. प्र.

[2]**डॉ. आभा वाजपेयी**

[2]प्राध्यापक,राजनीति शास्त्र, **डॉ. भगवत सहाय** शासकीय महाविद्यालय,जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर,म. प्र.

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14926318

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का विशेष महत्व है। लोकसभा का संबन्ध लोकतंत्र की गरिमा से है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की गरिमा पर निर्भर करती है। लोकसभा चुनाव आसन्न है और त्रिशंकु संसद की संभावनाएं सामने हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्षात्मक बलाम संसदीय शासन प्रणाली की बहस दुबारा प्रारंभ हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्चस्व और एकाधिकार को 1967 में संविद प्रयोग के द्वारा चुनौती मिली और 1977 में जलता प्रयोग द्वारा 1906 के चुनावों में देश ले अल्पमत सरकार का अस्तित्व भी देखा। इन्हीं परिस्थितियों में राजनीतिक अस्थिरता के मंडराते हुए खतरे को भांप कर बुद्धिजीवियों तथा बौद्धिक प्रवृति के राजनीतिज्ञों के एक हिस्से द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के कई प्रारूप प्रस्तुत किए गए किन्तु किसी भी प्रारूप को जल सामान्य की सर्वानुमति या सर्व सहमति प्राप्त नहीं हुई।

मुद्दा यह है कि 40 वर्षों से देश में चल रही संसदीय शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपलाया जाये अथवा वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली में ही कुछ बुनियादी परिवर्तन कर उसे ही चलने दिया जावे ? इन दोनों ही प्रस्तावों के पक्ष और विपक्ष में सकारात्मक अथवा नकारात्मक मत प्रस्तुत किए जा सकते हैं किन्तु यदि भारतीय राष्ट्र के बहुधर्मी, बहुजातीय, बहुभाषी चरित्र को देखा जाए तो इल समस्त प्रवृतियों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में उस तरह से होना असंभव है, जिस तरह वर्तमान संसद में हो जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र में स्वैच्छाचारिता और निरंकुशता की स्वातन्त्र्य पूर्व की सुदीर्घ परम्परा को देख्नते हुए तथा जलसामान्य के काफी बड़े हिस्से में व्यक्ति पूजा की प्रवृति की विद्यमानता को देखते हुए अध्यक्षीय प्रणाली को अपलाया जाला वांछनीय और हितकर प्रतीत नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथकरण के सिद्धान्त पर आधारित हैं। भारतीय परिवेश में व्याप्त अहंवादी प्रवृत्तियों को देखते हुए भी इस शासन प्रणाली में शासन के तीनों अंगों के मध्य अस्वस्य तथा घातक प्रतिस्पर्द्धा के उदित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

मुख्यबिन्दु : तुलाव, संसद, राजनीतिक, परम्परा प्रतिस्पर्द्धा, संभावला

वर्तमान संसदीय प्रणाली की वे मूलभूत न्यूलताएं क्या हैं, जिनकी वजह से बार-बार अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाए जाने की चर्चा चलती रहती है? सर्वप्रथम कमी तो वह संवैधानिक अभिसमय है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति लोक सभा में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है और ऐसी स्थिति में जबकि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति को असीमित विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। 1967 के संवि दौर या उसके बाद कई राज्यों में राज्यपालों द्वारा तया 1979 में राष्ट्रपति द्वारा भी इस असीमित विशेषाधिकार का कथित रूप से दुरुपयोग किए जाने का उदाहरण सामले हैं। इस न्यूलता का सर्वोत्तम संभव निराकरण इस प्रकार हो सकता है कि लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के साथ सदन के नेता का भी तुलाव करें तथा राष्ट्रपति सदन के विधिवत रूप से निर्वाचित नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करें। सदन के नेता के चुनाव में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के संसदीय दलों के नेताओं तथा निर्दलीय सदस्यों को भाग लेने का अधिकार हो तथा यदि प्रथम चरण में सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी को लोकसभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रथम तथा द्वितीय सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशियों के मध्य दुबारा तुलाव संपन्न कराया जाए। पड़ौसी देश पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के चुनाव हेतु यही पद्धति अपनाई जाती है। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किए जाने वाले नेता को लोक सभा में बहुमत के समर्थन के संबंध में सभी प्रकार के संशय तथा भ्रान्तियों का निवारण हो जाएगा एवं अल्पमत के नेता के प्रधानमंत्री बनने की संभावना जड़मूल से लष्ट हो जाएगेंगे। इस

पद्धति में यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या सदल के नेता पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि यह अपनी राजनितिक पार्टी का सदल में लेता है। यदि उसे उसकी पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया जाता है और पार्टी अपना नया नेता तुल लेती है तो ऐसी स्थिति में सदन भी नये लेता का चुनाव करें। यदि कोई निर्दलीय सदस्य सदन का लेता बन जाता है तो उसे इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जा सकता है।'

वर्तमान संसदीय प्रणाली में केन्द्र में राज्य सभा के रूप में तथा कतिपय राज्यों में विधान परिषद के रूप में उत्त अथवा द्वितीय सदल सूजित किए हुए हैं। भारत के संसदीय लोकतन्त्र की मूल प्रेरणा ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर माडल से आई है, जहां संसदीय संस्थाओं के विकास का एक सुदीर्घ इतिहास रहा है। ब्रिटिश हाउस ऑफ लार्ड्स पुरातन परम्परा के तत्वों को लई लोकतान्त्रिक व्यवस्था में समन्वित और समायोजित करने का सफल प्रयास या इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्त सदन सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना उवत राष्ट्र के गठन में राज्यों की निर्णायक भूमिका तथा राष्ट्रीय मामलों में उनकी बराबरी की स्थिति की संवैधानिक स्वीकृति है। इस प्रकार इन दोनों ही संस्थाओं के अस्तित्व का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और औचित्य है।

भारतीय राज्यसभा उक्त दोनों संस्थाओं के समान ऐतिहासिक विकास क्रम का परिणाम नहीं है और इसकी संरचना भी लोकसभा से भिन्न किसी विशिष्ट उद्देश्य को संकेतित नहीं करती। भारतीय संविधान में तथा कवित कुलीलों के लिए कोई स्थान नहीं है और राज्यसभा में सभी राज्यों को जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। सदस्यता की प्रकृति का यदि परीक्षण किया जाये तो भी दोनों सदनों में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं है, सिवाय इसके कि उच्च सदन कभी-कभी असफल एवं जनाधार विहीन राजनीतिज्ञों का पुनर्वास केन्द्र बन जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि या तो सभी राज्यों को उत्त सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जावे अथवा इस सदल को ही समाप्त किया जावे। समाप्त किए जाने की स्थिति में कला, साहित्य, संस्कृति तथा विशाल के क्षेत्र में लक्ष्य प्रतिष्ठ लोगों को लोकसभा या विधानसभा में ही मलोनीत किया जा सकता है। वर्तमान में भी एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में मलोलीत प्रतिनिधित्व की सुविधा दी हुई है। राज्य सभा की समाप्ति के साथ ही उप-राष्ट्रपति के पद के अस्तित्व का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। शिष्टाचार के प्रयोजनार्थ अर्थात् विदेशी उपराष्ट्रपतियों के स्वागत और विदाई हेतु एक सदनीय संसद के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जा सकता हैं तथा इसके लिए उन्हें प्रोटोकोल क्रम में राष्ट्रपति के उपरान्त तथा प्रधानमंत्री के पूर्व अधीष्ठित किया जा सकता है। इस एक कदम अर्थात् उपराष्ट्रपति पद राज्य सभा एवं विधान परिषदों की समाप्ति से बिना भारतीय लोकतन्त्र के मौलिक ढांचे को कोई लुकसाल पहुंचाए अपार धनराशि की बचत की जा सकती है। इस मुल्क की घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए यह कदम एक वरदान से कम नहीं होगा। अभी राज्य सभा तया विधान परिषदों की सदस्यता की जो प्रकृति हैं, उससे लोकप्रिय सदन में अन्य राजनीतिक दल के बहुमत की स्थिति में दोनों सदनों के मध्य विवाद और मतभेद की संभावना स्पष्ट रूप से मौजूद रहती हैं। '

भारतीय संसदीय प्रणाली की एक और कमी मन्त्रियों की श्रेणी तथा संख्या पर सीमारोपण का अभाव हैं। वर्तमान में परम्परानुसार ही केन्द्र तथा राज्यों में मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सत्तिव के पद का प्रावधान हैं तथा कभी-कभी शक्ति सन्तुलन की आवश्यकता के हिसाब से उप प्रधानमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा मुख्य संसदीय सचिव के पद भी सृजित कर दिए जाते हैं। जहां तक संख्या का संबंध हैं, 325 सदस्यीय बिहार विधान सभा में 75 सदस्यों की मंत्री परिषद के गठन का कीर्तिमान स्थापित हो तुका हैं। छोटे राज्यों में तो विधान सभा की सदस्य संख्या के आधे या दो तिहाई मंत्री नियुक्त करने की परम्परा पड़ गई है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र कानूल में मंत्रियों की संख्या को विधान सभा की सदस्य संख्या के दस प्रतिशत के बराबर निर्धारित कर एक सराहनीय कार्य किया गया है। आवश्यकता इस प्रावधान को केन्द्र तथा अन्य राज्यों में लागू किए जाने की है। इसी प्रकार मंत्री परिषद के वर्तमाल श्रेणीकरण को समाप्त कर इसे दोस्तरीय बनाए जाने का अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान किया जा सकता हैं। राज्यों में तो एकस्तरीय मन्त्रिपरिषद से ही काम सुचारू रूप से चल सकता है। इसी प्रकार उपप्रधानमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के पद के सूजन को भी प्रतिबन्धित किया जा सकता है क्योंकि इससे सत्ता के समानान्तर केन्द्र के पलपले की संभावना मौजूद रहती हैं एवं शासन तथा प्रशासन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।" मंत्रियों का वरिष्ठता क्रम शपथ ग्रहण के समय ही स्पष्टता पूर्वक निर्धारित किया जा सकता है ताकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की स्थायी अथवा अस्थायी पदरिक्त के समय स्थापन्नता की समस्या उत्पन्न न हो। मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

के लिए यह आवश्यक हो कि पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से संसद में दस या बारह ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों का मनोलयन करें, तत्पश्चात उनमें से कुछ को मंत्रिपरिषद में भी स्थान दिया जाये।

भारतीय शासन व्यवस्था का यह दुर्भाग्य हैं कि आजादी के 49 वर्ष बाद भी जिला प्रशासन का एक सुनिश्चित स्वरूप विकसित नहीं हो पाया। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं प्रचलित किय जाने के बाद भी स्थिति यथावत हैं। प. बंगाल और मध्यप्रदेश में जिला कलेक्टर ही जिला परिषद के पटेल सत्तिव हैं तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों पर जिला परिषद का पूर्ण नियन्त्रण हैं जबकि उत्तरप्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में जिला परिषद तथा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण समानान्तर रूप से कार्यरत हैं एवं दोनों संस्थाओं के मध्य कोई तालमेल नहीं है। इसी प्रकार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा आन्ध्रप्रदेश में विकास कार्य जिला कलेक्टरों से लेकर पूरी तरह जिला परिषदों को स्थानान्तरित कर दिए गये है तथा जिला कलेक्टर की भूमिका कानून व्यवस्था राजस्व एवं सामान्य प्रशासन तक सीमित कर दी गई है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित पद्धतियों के उक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली में सांगठनिक एकरूपता का अभाव हैं तथा अधिकतर राज्यों ने परम्परागत प्रशासन के साथ नवीन पंचायत राज्य व्यवस्था के समन्वय तथा सामंजस्य जैसे महत्वपूर्व प्रश्न की उपेक्षा की हैं।

वर्तमान में जिलाधिकारी या कलेक्टर की भूमि का बहुआयामी है। सामान्य प्रशासन, राजस्व तथा कालूल व्यवस्था के अलावा वह तुलाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्विभागीय समन्वय अधिकतर राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृर्षि विकास, औद्योगिक प्रोत्साहन, शिक्षा तया साक्षरता के प्रचार प्रसार ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन परिवार कल्याण, अल्पवत्तत तथा पर्यावरण संरक्षण का भी प्रभारी अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार तथा पटवारी के रूप में एक सुसंगठित. सुप्रशिक्षित तथा दक्ष मशीनरी कलेक्टर की सहायता के लिए उपलब्ध है अतः पंचायती राज्य प्रणाली की सफलता के लिए कलेक्टर का सहयोग आवश्यक है। इसी प्रकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सफलता के लिए भी विकास कार्यो में कलेक्टर की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित किया जाला आवश्यक हैं।

इस हेतु यह आवश्यक है कि जिला कलेक्टरों को आवश्यक रूप से जिला परिषदों का मुख्य अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया जाये तया जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद के प्रशासनिक व वित्तीय नियन्त्रण में लाया जायें। इस प्रकार सामान्य प्रशासन, राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कलेक्टर स्वतन्त्र रूप में काम करे तथा विकास कार्य के सन्दर्भ में वह निर्वाचित जिला परिषद के प्रति उत्तरदायी हो। जिला परिषद के सभापति, उपसभापति तथा सदस्य कानून, नियम तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन कार्य करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि जिला परिषद के नियम विरुद्ध प्रस्तावों के क्रियान्वयन को स्थगित करने व उन्हें अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार को सन्दर्भित करने की शक्तियाँ कलेक्टर में लिहित हो। वस्तुतः पंचायती राज संस्थाओं व स्वायत शासन संस्थाओं के प्रमुखों तथा सदस्यों में विधि एवं नियमों की अवहेलना की कथित रूप से बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए उक्त संस्थाओं के सत्तियों को इस तरह का अधिकार दिया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है ताकि वे नियम विरुद्ध प्रस्तावों को स्थगित कर अन्तिम निर्णय के लिए उन्हें उत्ताधिकारी को सन्दर्भित कर सकें। इसी प्रकार संस्थापन व वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्र में विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियाँ भी सचिव को ही दी जाली चाहिए ताकि वित्तीय अनुशासन की अनुपालना हो सके एवं इल संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का राजनीतिकरण एवं दोहल रुक सकें।

जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला स्वायत शासन परिषद का गठन भी किया जाना चाहिए जिसमें जिले के सभी निगम व पालिका प्रमुख सदस्य तथा कलेक्टर सदस्य सचिव हो । उक्त परिषद को जिले की सभी स्वायस शासन संख्याओं के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त हो तथा स्वायत संस्थाओं के संबंध में राज्य सरकार की सभी शक्तियां इस परिषद को प्रत्यायोजित कर दी जावें । इसी प्रकार सचिवालय की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना तथा संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों को सामान्य तया नित्य नैमिन्तिक प्रशासन की दृष्टि से अधिकाधिक सक्षम व अधिकार सम्पन्न किया जाना भी समय की मात्र है, ताकि आम आदमी की तकलीफ कम हो और सचिवालय के स्तर पर नीति निर्माण का कार्य वास्तविक रूप से संपन्न हो सके। राष्ट्रीय विकास परिषद की तर्ज पर राज्य विकास

परिषद का गठन भी किया जाना चाहिए जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो तथा जिला प्रमुख एवं कलेक्टर इस परिषद के सदस्य हों। यह परिषद ही पंचायती राज संस्थाओं व स्वायत शासन संस्थाओं के सर्वोच्च नीति निर्धारक तथा नियन्त्रक निकाय के रूप में कार्य करें।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की एक बड़ी खामी यह भी है कि अनेक राज्यों में सरपंचों को पंचायत समिति तथा पंचायत समिति प्रमुखों को जिला परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया हैं। इससे उक्त संस्थाओं में संवादहीलता, समन्वयहीनता व आसामंजस्य की स्थित पनप रही है। इसके अलावा पंचायत समिति तथा जिला परिषदों के क्षेत्रीय आधार पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यगण परामर्शकारी भूमिका से सन्तुष्ट नहीं है अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरपंचों को पंचायत समिति तथा पंचायत समिति सदस्यों को जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जावें। ये पटेल सदस्य ही पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक तथा सामान्य वर्गों से दो दो प्रतिनिधियों का सहचरण करें तथा उक्त सहचरित सदस्यों में से ही इल संस्थाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का तुलाव हो। ये सहवरित सदस्य अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय संकीर्णताओं से मुक्त होंगे तथा संबंधित विकास खण्ड या जिले के समग्र सर्वतोमुखी एवं समांगी विकास के लिए सोच सकले में समर्थ होगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के अध्यक्षों का तुलाव अनिवार्य रूप से प्रत्यक्षतः कराया जाना चाहिए क्योंकि छोटे सदलों एवं मूल स्थानीय सदलों में अध्यक्ष के सिर पर अविश्वास प्रस्ताव का संकट सर्वदा मंडराता रहता है तथा अध्यक्ष का अधिकांश समय विकास के बजाय कुर्सी की चिन्ता में बीतता हैं। अध्यक्ष की संभावित निरंकुशता पर रोक के लिए सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पदत्त्युति का प्रावधान रखा जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. महेश्वर सिंह, भारतीय लोकतंत्र संमस्याएँ व समाधान, साहित्यगार जयपुर संस्करण 2000 पू. 2.
2. यही पू. 3.
3. यही पू.6.
4. वही पू. 7.
5. सुरेश कुमार निगम भारतीय लोकतंत्र का महत्त्व कल्पना प्रकाशन कालपुर संस्करण 2009. पू. 06.
6. राजेश कुमार मीणा भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, रावत प्रकाशन जयपुर, संस्करण 2011. पू. 11.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Lokmata Ahilyabai Holkar: A Beacon of Women's Self-Respect and Societal Awakening

[1]**Prof. Sushma Chaudhary**

[1]Malwa Institute of Science and Management, Indore (M.P)

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14931646

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

Women's self-respect is the cornerstone of gender equality and societal progress. Throughout history, many women leaders have challenged patriarchal norms, but Lokmata Ahilyabai Holkar stands out as an extraordinary figure who not only ruled with wisdom and strength but also uplifted women's dignity. As the ruler of the Malwa kingdom (1767–1795), she implemented progressive policies that fostered economic stability, legal rights, and social empowerment, while also challenging oppressive traditions such as Sati. At a time when women were largely confined to domestic roles, she emerged as a beacon of women's self- respect and societal awakening, proving that leadership is not defined by gender but by vision, justice, and compassion.

Ahilyabai Holkar's reign was a testament to ethical governance and inclusive leadership. She established a just and transparent legal system, ensuring that women, widows, and marginalized communities received fair treatment and protection. Her economic policies encouraged women's participation in trade, agriculture, and cottage industries, fostering financial independence. Recognizing the power of education, she supported women's learning and provided opportunities for intellectual and spiritual growth. Her dedication to cultural preservation was evident in her extensive temple restoration projects across India, reaffirming her role as a patron of heritage and spirituality.

Her governance was marked by compassion, wisdom, and resilience, setting a precedent for progressive leadership. By promoting self-respect among women, she not only empowered them during her time but also laid the foundation for future generations of reformers and women leaders. This paper explores her unparalleled contributions to governance, social justice, and cultural preservation, emphasizing how she remains a guiding light for women's empowerment and societal transformation even centuries after her reign.

Keywords: Ahilyabai Holkar, women's empowerment, just governance, social reform, Malwa kingdom, Indian history, temple restoration, ethical leadership, self-respect, societal awakening.

Introduction:

"A woman's strength is not in her silence, but in her ability to rise above adversity."

Maharani Ahilyabai Holkar stands as an enduring symbol of women's empowerment, justice, and visionary leadership in Indian history. At a time when societal norms dictated that women remain confined within domestic spheres, she shattered conventions and emerged as one of the greatest rulers in Indian history. Her reign was characterized by social welfare, economic progress, religious tolerance, and an unwavering commitment to justice.

"She rose, a queen, with wisdom bright,
A guiding star in Malwa's night.
With justice firm and heart so wide,
She ruled with love, the people's guide."

These lines aptly capture the essence of Ahilyabai's reign, where governance was not just an exercise of power but a sacred duty towards her people. Born in 1725 in Chaundi, Maharashtra, Ahilyabai was chosen by destiny to lead the Malwa kingdom after the tragic loss of her husband, Khanderao Holkar, and later her father-in-law, Malhar Rao Holkar.

Despite opposition, she rose to power and ruled for nearly three decades, transforming Malwa into a prosperous and just kingdom.

Ahilyabai Holkar's governance was founded on the principles of righteousness, self- discipline, and an unwavering commitment to the welfare of her people. Unlike many rulers who focused solely on military expansion, she dedicated herself to infrastructure development, trade promotion, and ensuring a just legal system. Her reign was a beacon of progressive governance, promoting religious harmony, economic reforms, and social justice.

Her contributions extended beyond administration. Ahilyabai played a crucial role in restoring India's sacred heritage, taking it upon herself to rebuild temples and sacred sites destroyed during foreign invasions. Her dedication to spirituality and cultural revival remains unparalleled, with her temple restoration projects standing as testaments to her enduring vision.

In an era when women were often considered weak and incapable of leadership, Ahilyabai proved that governance is not about gender but about wisdom, courage, and compassion. Her reign (1767–1795) marked a new era in Indian history—one where justice and inclusivity thrived under the rule of a powerful yet benevolent queen. Even centuries later, her legacy continues to inspire women's empowerment and societal progress.

Objectives of the Study:

1. To analyse Ahilyabai Holkar's contributions to governance and administration.
2. To evaluate her role in women's empowerment and social justice.
3. To examine her legacy in infrastructure development and temple restoration.
4. To highlight her impact on modern leadership and governance principles.

Methodology:

This research paper is based on secondary data obtained from historical texts, research articles, biographies, and scholarly analyses of Ahilyabai Holkar's reign.

Governance: A Model of Ethical Leadership:

Ahilyabai Holkar's administration was founded on the principles of justice, inclusivity, and welfare. Her governance model ensured peace, economic stability, and progressive social policies, making Malwa one of the most prosperous regions of the time.

Justice and Administrative Excellence:

Ahilyabai was renowned for her fair and transparent justice system. Unlike many rulers who delegated judicial responsibilities, she personally heard grievances from her subjects, ensuring that justice was served without bias. Historical records show that she was accessible to all, irrespective of caste, gender, or economic status.

“If any wrongdoing occurs, do not be afraid to approach me, for I am the mother of my people.”

This statement reflects her belief in governance as a maternal duty—one of care, protection, and fairness. She was deeply committed to upholding justice, often intervening in legal matters to ensure that the poor and marginalized were not exploited by the wealthy elite.

Her administration was known for swift and fair decision-making. She appointed judges based on merit, not birth right, ensuring that the judicial system remained free from corruption and favoritism. Unlike many rulers who prioritized the interests of the nobility, Ahilyabai’s court was open to the common people, reinforcing her role as a just and accessible leader.

Economic and Infrastructure Development:

Recognizing the importance of economic prosperity, Ahilyabai implemented policies that encouraged agriculture, trade, and commerce. She reduced taxes for farmers during difficult seasons and provided incentives for traders, ensuring that Malwa remained a thriving economic hub.

Infrastructure was another key aspect of her reign. She constructed roads, wells, rest houses (dharamshalas), and forts to improve connectivity and security. Her contributions helped lay the foundation for long-term economic stability in the region. She personally oversaw the construction of numerous public works projects, ensuring that they served the common people effectively.

She believed that economic growth should benefit all citizens, not just the elite. Her administration provided financial aid to struggling businesses and encouraged the development of cottage industries, which gave women and marginalized communities opportunities for financial independence.

Religious and Cultural Patronage:

Ahilyabai’s contributions extended beyond governance; she played a crucial role in restoring India’s sacred heritage. After the destruction of many temples during foreign invasions, she took it upon herself to restore them, ensuring their architectural and spiritual revival.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Notable temple reconstructions include:

- Kashi Vishwanath Temple (Varanasi)
- Somnath Temple (Gujarat)
- Vishnupad Temple (Gaya, Bihar)
- Numerous ghats along the Ganges, including those in Varanasi and Ujjain.

She once said:

"Temples are not just stones and walls; they are the spirit of our civilization."

Her deep spiritual inclination and commitment to religious tolerance made her a beloved leader among Hindus, Jains, and other religious communities.

Ahilyabai Holkar's reign remains an exemplary model of ethical governance, where justice, prosperity, and social welfare were prioritized. Her legacy continues to inspire leaders, reformers, and citizens alike, demonstrating that true leadership is rooted in service, vision, and compassion.

Women's Empowerment and Social Reforms:

One of Ahilyabai Holkar's most significant contributions was her challenge to patriarchal norms. At a time when women were largely relegated to domestic roles, she demonstrated that women were equally capable of governance and leadership.

Ensuring Justice and Legal Rights for Women:

As a ruler, Ahilyabai Holkar was known for her fair and unbiased judicial system. She personally presided over cases and ensured that women received equal justice, protection against exploitation, and fair treatment.

Unlike many rulers of her time, she empowered women legally by:

- Punishing those who engaged in violence against women.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- Allowing women to present cases in court, an uncommon practice in the 18th century.
- Creating a system where women could inherit and manage property.

By doing so, she laid the early foundation for gender justice in India, centuries before legal frameworks formally recognized women's rights.

Challenging Traditional Gender Roles:

In the 18th century, Indian society largely viewed women as subordinate to men, restricting their roles to household duties. Ahilyabai Holkar challenged these norms by assuming the throne after the untimely death of her husband, Khanderao Holkar. Despite opposition from conservative factions, she proved that women could lead with the same—if not greater— efficiency and wisdom as men.

Her rule broke stereotypes about women's capabilities, sending a strong message that women were not just caretakers of homes but also capable of leading kingdoms, economies, and societies.

Widow Empowerment and Social Welfare

After losing her husband at a young age, Ahilyabai refused to commit Sati, the then-prevalent custom of widow immolation. Instead, she chose to lead and serve her people. Her stance against Sati and her encouragement of widow remarriage set a progressive example.

She also worked for the welfare of the underprivileged, constructing shelters, hospitals, and schools to provide equal opportunities for all.

Education and Artistic Revival

Women's Education and Economic Independence

Recognizing that education was the key to women's self-respect, Ahilyabai Holkar promoted learning centers, Sanskrit schools, and informal education programs for girls at a time when female literacy was extremely low.

Additionally, she took bold economic measures to ensure that women were financially independent. She:

- Encouraged women to participate in trade and artisanal work.

- Provided land and financial support to widows so they could sustain themselves.
- Ensured that women were given opportunities in public service and administration.

These efforts not only uplifted countless women during her reign but also set a precedent for future reforms in women's education and economic empowerment. Understanding the power of education, Ahilyabai encouraged learning among both men and women. She patronized scholars, poets, and artists, ensuring that Malwa remained a centre of intellectual and cultural activity.

She believed:

"A nation flourishes when knowledge is cherished and shared."

Her vision for education, though ahead of its time, resonates even today as a guiding principle for societal growth.

Legacy and Continuing Relevance:

Ahilyabai Holkar's legacy remains an inspiration for leaders, administrators, and social reformers. She demonstrated that governance is not about power but about service, that justice should be blind to gender and class, and that societal progress requires the active participation of women.

Her contributions were so profound that even the British, known for their reluctance to acknowledge Indian rulers, praised her reign. Sir John Malcolm, a British administrator, wrote:

"The reign of Ahilyabai was the golden age of Malwa."

Her life stands as a testament to the power of wisdom, justice, and compassion in leadership.

Ahilyabai Holkar's Role in Societal Awakening:

Ahilyabai Holkar's reign did not just benefit women; it transformed society as a whole. Her policies and actions challenged deeply entrenched patriarchal norms and inspired future movements for social reform.

Setting an Example for Future Women Leaders:

Her success as a ruler inspired generations of women in India to pursue leadership roles in politics, governance, and social activism. Women like Rani Lakshmibai of Jhansi, Sarojini Naidu, Indira Gandhi, and Kiran Bedi followed in her footsteps, fighting for women's equality and social justice.

Influencing Reformers like Raja Ram Mohan Roy and Jyoti Rao Phule:

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Ahilyabai's progressive policies had a lasting impact on Indian social reform movements. Reformers like Raja Ram Mohan Roy (who fought against Sati) and Jyoti Rao Phule (who championed women's education) were influenced by the values she upheld during her reign.

Inspiring Contemporary Women's Movements:

Today, Ahilyabai Holkar's legacy resonates with modern feminist movements in India. Her emphasis on education, economic independence, and legal rights aligns with the goals of contemporary organizations fighting for gender equality.

Women leaders in various fields—from politics to business, arts to activism—cite her as an inspiration for their journey toward self-respect and empowerment.

Conclusion:

"A ruler is remembered not by their wealth or power, but by the legacy of justice and kindness they leave behind."

Lokmata Ahilyabai Holkar was not just a queen; she was a visionary, a mother to her people, and an agent of transformation. She defied societal norms to establish a just and prosperous rule, leaving behind a legacy that continues to inspire generations. Her reign exemplifies the power of ethical leadership, social responsibility, and the crucial role of women in nation- building.

Her legacy is not just etched in the annals of history but in the hearts of those who believe in justice, compassion, and service. She was a rare leader who ruled with her heart and mind in perfect harmony, ensuring that governance was not about dominance but about the welfare of her subjects. Her rule stands as a golden chapter in Indian history, proving that a woman's leadership can be as effective, just, and transformative as any other.

Even today, her contributions serve as a blueprint for good governance and women's empowerment. From the temples she rebuilt to the policies she implemented, her influence continues to guide modern leadership. Her life reminds us that true leadership is about selfless service, and her legacy remains immortal in the history of India.

"She ruled with grace, with wisdom bright,

Her name shall shine in history's light."

References:

1. Shinde, G.D. (1999). Ahilyabai Holkar: The Great Maratha Queen. Pune: Maratha History Publications.
2. Majumdar, R.C. (2012). History of the Marathas, Volume II. Delhi: Bharatiya Vidya

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Bhavan.

3. Sharma, J.K. (2020). Women Rulers of India: From Ahilyabai to Indira Gandhi.Jaipur: Raj Publications.
4. Desai, S. (2015). Temple Restoration in India: Ahilyabai Holkar's Contributions.
5. Mumbai: Heritage India Trust.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

बाल साहित्य की अवधारणा का सामाजिक महत्व

[1]दिनेश चंद्र भूरिया

[1]सहायक प्राध्यापक
हिन्दी विभाग
वीर सावरकर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पचोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/02/2025

Paper date Publishing Date

14/02/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.14983612

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

छोटे बच्चों का संसार अपने आकार-प्रकार, रंग-रूप में बड़ों के संसार से सर्वथा भिन्न होता है। बड़ों के संसार में लोक- शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति, समाज, राष्ट्र, जाति, आदर्श एवं नियम-विधान आदि पग-पग पर विद्यमान रहते हैं, जिनसे अलग करके हम व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते।

बच्चों के संसार में इन सबका अभाव रहता है। बच्चे निजी तौर पर न तो शिष्टता सभ्यता का अर्थ समझते हैं और न ही नियम-विधानों की कोई चिन्ता उन्हें सताती है। उन्हें अपने खेल-खिलौनों, पुस्तकों की तस्वीरों इत्यादि से जितना मोह होता है, उतना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से नहीं होता है। अपने खेल के साथियों को वह परिवार के सदस्यों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उनके संसार में व्यक्ति का सम्बन्ध केवल मनुष्यता के नाते होता है, देश, जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर होने वाले सम्बन्धों की वहाँ कोई मान्यता नहीं होती है।

मुख्य बिन्दु:- सभ्यता, संस्कृति, खेल-खिलौनों, तस्वीरों।

बाल साहित्य में नैतिकता को एक प्रमुख तत्व के रूप में लिया जाता है, किन्तु बच्चे नैतिक शिक्षा तथा उपदेश पसंद नहीं करते हैं। वास्तव में थोपी हुई नैतिकता बच्चों में विद्रोह को जन्म देती है। प्राय: यह देखा जाता है कि बच्चों को जो काम करने से रोको, वहीं वे करते हैं, जिससे मिलने पर रोक लगाओं, उससे अवश्य मिलते हैं, भले ही छिपकर या

माता-पिता की आँख बचाकर मिलें। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता हैं कि बच्चों में नैतिक गुणों का विकास किस प्रकार किया जाए? श्री शुक्ल ने यह कार्य मनोरंजन के माध्यम से किया है। अधिक भोजन करना, और उसके दुष्परिणाम का... दृश्य मनोरंजक होने के साथ ही प्रभावशाली भी है-

मोय लाला रोज सवेरे, दो टन खाना खाता है।

इसलिए बिस्तर से अपने कभी नहीं उठ पाता है।

श्री शुक्ल ने शिशु गीतों और बाल कविताओं के सृजन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उनकी दो कविताएँ हाथी और आँखें चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा 992 में पुरस्कृत भी हो चुकी हैं तथा आठ पुस्तकें विभिन्न विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाई जा रही है। श्री शुक्ल ने कुल पाँच वाल उपयोगी एकांकी लिखे हैं- तीन मूर्ख, रानी गिडालू, हवाई महल, अक्षर ज्ञान और स्वर्ग की अदालत। तीन मूर्ख एक हास्य एकांकी है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

सन् 1990 में चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत इस एकांकी में तीन ऐसे मूर्ख जुलाहों की कहानी है, जो थोड़ा सा ज्ञान प्रात करने के बाद अपना-अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि एक साधारण भिखारी उन्हें सरलता से ठग लेता है। हवाई महल दो भिखरियों की कहानी पर आधारित एकांकी है। ये दोनों करते कुछ नहीं, बस हवाई महल बनाते हैं और आपस में लड़ पढ़ते हैं।1

अक्षर ज्ञान जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अशिक्षा और इसके दुष्परिणाम पर आधारित है। स्वर्ग की अदालत एक शानदार व्यंग्य है। धरती पर बड़े-बड़े अपराध करने वाले स्वर्ग की अदालत में किस प्रकार बेनकाब होते हैं. और एक साधारण मानव किस प्रकार स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। यह इस एकांकी का आधार है।

श्री शुक्ल सूचनात्मक साहित्य के प्रबल पक्षथर हैं। आपने इस विषय पर एक शोध लेख भी तैयार किया है- हिन्दी बाल साहित्य में सूचनात्मक साहित्य का अभाव। यह आलेख देश की अनेक शोध पत्रिकाओं, व्यावसायिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और सराहा गया।

श्री शुक्ल ने सूचनात्मक साहित्य की बात हीं नहीं उठायी, बल्कि इसका महत्व स्पष्ट करने के लिए अनेक विश्वकोश भी तैयार कर डाले। इनमें ज्ञान विज्ञान कोश और जलचर कोश प्रमुख हैं। ज्ञान विज्ञान कोश में सामान्य विषयों से सम्बन्धित रोचक जानकारियाँ, वैज्ञानिक आविष्कारों की कहानियाँ तथा विलक्षण वन्य जीवों पर आलेख हैं। विश्व जलचर कोश तो पानी में पाए जाने वाले जीवों का पूरा विश्वकोश (इन्साइक्लोपीडिया) है। इसमें धरती पर पाए जाने वाले, पानी के सभी जीवों का सचित्र परिचय है।

श्री शुक्ल का बाल साहित्य संसार बड़ा विस्तृत है। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह बड़ा ही उद्देश्यपूर्ण तथा विस्तृत है। हिन्दी बाल साहित्य के क्षेत्र `मे उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली सहित हिन्दी अकादमी हैदराबाद, नागरी बाल साहित्य संस्थान बलिया, बाल कल्याण संस्थान, कानपुर आदि द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा चुका है।

समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली; चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली; हिन्दी अकादमी हैदराबाद; मध्यप्रदेश लेखक संघ, भोपाल सहित अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत। बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई, ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेन्शन सोसाइटी, लखनऊ, मध्यप्रदेश लेखक संघ, भोपाल सहित अनेक संस्थाओं की आजीवन एवं वार्षिक सदस्यता।

वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या है- पर्यावरण प्रदूषण। यदि हम समस्या के प्रति अभी से जागरूक नहीं हुए, तो भविष्य में यह समस्या अत्यन्त विकराल रूप धारण कर लेगी, यह निश्चित है। इस समस्या के प्रति श्री शुक्ल अभी से जागरूक है। उन्होंने अपनी बाल कविताओं के माध्यम से यह जागरूकता बच्चों में उत्पन करने की कोशिश की है।

आस्था और विश्वास जीवन को सरल, सहज और उपयोगी बनाते हैं। इससे व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। श्री शुक्ल ने अपनी कविताओं में इस तथ्य। को भी समझाने का प्रयास किया है। वर्तमान भौतिकवादी युग में धन का महत्व बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज के लोग धन के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं। धन के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। धन दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है- कमाकर और बचाकर।

शुक्ल जी ने इन दोनों तथ्यों को बचत का महत्व में स्पष्ट करके यह सिद्ध कर दिया है कि वह समसामयिक परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। वह बच्चों को भी इस योग्य बना देना चाहते हैं कि वे आने वाले समय में अपना विशिष्ट स्थान बना सकें। प्रात:काल जल्दी उठना, माता-पिता, गुरू का आदर करना, समय पर सभीं कार्य पूरे करना आदि भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। श्री शुक्ल ने इनका महत्व स्पष्ट करने वाली अनेक बाल कविताओं का सृजन किया है। इसके साथ ही उन्होंने फैशन को महत्वपूर्ण माना है। श्फैशन और व्यायामश्कविता में यह बात बड़े रोचक ढंग से समझाई गई है

योग और कसरत ये दोनों, अपना स्वस्थ शरीर बनाते।

और सभी फैशन के साधन, इस शरीर को खूब सजाते।

खेहत औ सुन्दरता दोनों को समझो तुम एक समान।

यदि कृक्तित्व बनाना है तो, कुछ फैशन ओऔ कुछ स्यायाम ॥।[2]

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

श्री शुक्ल ने अपने बालगीतों एवं शिशुमीतों में अनेक रोचक प्रयोग भी किए हैं, जो बच्चों का मनोरंजन करने के साथ हीं उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ते हैं।

श्री शुक्ल का मोदा लाला दो मन के स्थान पर दो टन खाना खाता है। इससे बच्चे दो टन वजन की कल्पना अवश्य हीं करेंगे। श्री शुक्ल की अधिकांश कविताएँ बड़ी सटीक और बच्चों की पसंद की हैं। निःसंदेह ये सब बाल साहित्य की अभिनव उपलब्धियाँ हैं, जो कवि ने बड़ी सहजता से बच्चों में वितरित कर दी हैं। अतः बाल साहित्य जगत को उनसे अभी अनेक अपेक्षाएँ हैं।

इसी प्रकार की समयानुकूल एवं प्रसंगानुसार, आज के परप्रेक्ष्य की 'स्वनाओं की बाल पाठकों को आवश्यकता है। वह चाहें तो और भी विषय यथा वैश्वीकरण, व्यापार, राजनैतिक हलचल, राजनैतिक नेताओं की स्थिति, प्रजातंत्र का स्वरूप आदि पर भी बच्चों को संदेश देकर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।

परशुराम शुक्ल ने हिन्दी बाल साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई है, किन्तु मूलतः आप कवि हैं। अभी तक शिशु गीतों और बाल कविताओं पर आपकी 25 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ पर इन सभी काव्य कृतियों का संक्षिप्त समीक्षात्मक विवरण दिया जा रहा है।

1. एकता की शक्ति- एकता की शक्ति श्री शुक्ल की पहली काव्य कृति है। इसमें नौ बाल कविताएँ हैं। ये हैं- 1. जीवन संग्राम, 2. एकता की शक्ति, 3. मीठी बोली, 4. रेल, 5. आँखें, 6. भालू और मदारी, . शावक, 8. बन्दर और कलन्दर तथा 9. बरक्षकथा। इस पुस्तक का प्रकाशन सन् ।997 में शेखार प्रकाशन, इलाहाबाद ने किया था। एकता की शक्ति की सभी

कविताएँ बालोपयोगी तथा शिक्षाप्रद हैं। कवि का यह मानना है कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में अपने-पराए का भेद-भाव भूलकर निष्काम कर्म द्वारा ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है-

अपने शौर्य पराक्रम से तुम, जीवन को आदर्श बनाओ।

छोड़ पराया और अपना सब कर्म करो निष्काम।

बच्चों ! जीवन इक संग्राम। बच्चों! जीवन इक संग्राम।

मंगल ग्रह जाएँगें- परशुराम शुक्ल का सन् 2008 में विज्ञान भारती, माजियाबाद द्वारा प्रकाशित बाल कविता संग्रह मंगल ग्रह जाएँगें एक रोचक एवं बालोपयोगी कविता संग्रह हैं। इसमें अनेक पूर्व प्रकाशित बाल कविताएँ हैं। मंगल ग्रह जाएँगे की बाल कविताओं में श्री शुक्ल की 1991 में प्रकाशित पुस्तक बालवन्दन की 16, सन् 2002 में प्रकाशित आओ

गुनगुनाओ की 16 तथा 2003 में तीन भागों में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कृत बालगीत की 8 ष्मंगल ग्रह बाल कविताएँ समाहित हैं। इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी सभी बाल कविताएँ 16-16 पंक्तियों की है।

श्री शुक्ल के अनुसार जाऐगें में विविधतापूर्ण विषयों और उद्देश्यों की अस्सी बाल कविताएँ हैं। ये कविताएँ किसी विशेष आयु वर्ग के लिए नहीं लिखी गई हैं और न ही इनमें मनोरंजन, नैतिकता, देशप्रेम अथवा बैज्ञानिकता के आधार पर कोई विभाजन किया गया है, किन्तु ये कविताएँ पाँच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। एक जैसी बाल कविताएँ

अरूचि उत्पन्न करने लगती हैं, अतः विविधता आवश्यक है। इस तथ्य को मैंने अनेक स्थलों पर स्पष्ट किया है कि बाल कविताओं का प्राण तत्व मनोरंजन है। अपनी बात पर कायम रहते हुए मैंने अपनी अनेक कविताओं में मनोरंजन को महत्व दिया है।

श्री शुक्ल को ईश्वर की सत्ता पर विश्वास हैं। बाल कविता की इनकी अन्य पुस्तकों के समान मंगल ग्रह जाएँगें में भी अनेक प्रार्थनाएँ है। इन सभी प्रार्थनाओं की प्रमुख विशेषता यह है. कि इनमें कहीं तुलसी के समान आराध्यवाली भक्ति भावना है और कहीं सूर के समान सखाझाव। उनका विश्वास है कि ईश्वर की सत्ता है, वह सर्वोच्च है, वह जगत का पालनहार है तथा वह सभी के मन की बात समझता है। बच्चें बड़े संवेदनशील होते हैं। वे दुत्खी और पीड़ित व्यक्ति को देखकर तुरन्त दु:खी हो जाते हैं और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, किन्तु जब लड़ाई बड़ी हो तो ईश्वर याद आता है।

परमपिता परमेश्वर तुमसे मैं कुछ कहने आया।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

तुमसे बढ़कर और न कोई, यह सबने समझाया।

यदि तुम ईश जगत के हो तो, सारा भेद मियाओ

वरना तुमको नहीं मानता, तुम पत्थर हो, जाओ।।[3]

प्रात:काल का प्रारम्भिक सौन्दर्य अदभुत होता है। सूर्य की किरणों से धरती रंगीन हो जाती है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, शीतल मन्द पवन सभी को मोह लेती है. और इन सबके मध्य मन एक अलौकिक आनन्द अनुभव करने लगता है।

सूर्य की पहली किरण से रक्त अम्बर रूप पाता।

प्रकृति की मोहक छय से विश्व सारा जगमगाता।

सूर्य की पहली किरण से तुम नया विश्वास लाओ।

वीर पुत्रों भारती के भाग्य का दीप जलाओ ।।।[4]

हमारे अनेक धर्मगन्थों में प्रात:कालीन बेला का सुन्दर चित्रण किया गया है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है- अरली ढु बेड एण्ड अरली ढु राइज, मेक्स हेल्दी, ड वेल्दी एण्ड वाइज। श्री शुक्ल ने भी प्रात:कालीन प्रकृति का मनोरम चित्रण करते हुए बच्चों को इसका आनन्द लेने की प्रेरणा दी है।

संदर्भ सूची

1.शर्मा राजेन्द्र कुमार, समकालीन हिन्दी बाल कविता, फाल्गुनी प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 203, पर. 49.

2. शर्मा राजेन्द्र कुमार, समकालीन हिन्दी बाल कविता, फाल्गुनी प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 203, पर. 50.

3. शर्मा राजेन्द्र कुमार, समकालीन हिन्दी बाल कविता, फाल्गुनी प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 203, पर. 75.

4. शर्मा राजेन्द्र कुमार, समकालीन हिन्दी बाल कविता, फाल्गुनी प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 203, पर. 75.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

समकालीन बाल साहित्य और उसकी प्रवृत्तियाँ

[1]दिनेश चंद्र भूरिया

[1]सहायक प्राध्यापक
हिन्दी विभाग
वीर सावरकर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पचोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)

Paper Rcevied date
05/02/2025
Paper date Publishing Date
14/02/2025

DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.14983842

IMPACT FACTOR
5.924

ABSTRACT

बाल उपन्यासों के प्रति बच्चों की रूचि, लगभग दस-बारह वर्ष का हो जाने के बाद उत्पन्न होती है। आरंभ में ये चार-पांच वर्ष की आयु में नाना-नानी, दादा-दादी अथवा इसी प्रकार के बड़े बुजुर्गों से बाल कहानियाँ सुनना पसंद करते है। इसके बाद वे स्कूल जाने लगते हैं और स्वयं पढ़ना सीख जाते हैं, तथा बाल कहानियाँ पढ़ना आरंभ कर देते हैं।

बाल कहानियाँ लिखना तो कठिन कार्य नहीं है, किन्तु बाल उपन्यास लिखते समय एक बाल साहित्यकार को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के सामने जीवन की बहुविध घटनाओं को, चाहें मनुष्य से संबंधित हो या पशु-पक्षियों के माध्यम से कहीं गई हो, इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि संसार की विचित्रता तथा रहस्यों को समझने के लिए प्रयत्नशील बालक, अपनी अनेक गुत्थियाँ उनके माध्यम से सुलझा सके।

मुख्य बिन्दु:- पशु-पक्षियों, बहुविध, घटनाओं, प्रयत्नशील, विचित्रता।

बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करते हुए उनमें रचनात्मक क्षमता उत्पन्न करने वाली और इसे विकसित करने वाली बाल कहानियों में कल्पना का गहरा पुठ होना आवश्यक है। इसके लिए बच्चों जैसे नाम वाले जीवों की कहानियाँ बड़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। इस पुस्तक में ही चालाक सियार कहानी का नायक चीनू सियार एक ऐसा हीं पात्र है। इस प्रकार के जीव-जब्तु, पशु-पक्षी आदि मानव की भाषा में बातें करते हैं। इससे इनके प्रति बच्चों में कौतूहल उत्पन्न होता है। नन्हें मुल्नों की कहानियाँ में वन्य जीवों के साथ ही देव-दानव, भूत-प्रेत, राक्षस, परी, देवी, देवता आदि को भी पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कभी-कभी तो निर्जीव को भी

सजीव पात्र के रूप में प्रस्तुत करके बाल कहानी की रचना करने में सफलता मिल जाती है। ष्सागर और हँस ऐसी ही बाल कहानी है।

बाल कहानियाँ, विशेष रूप से छोटे बच्चों की बाल कहानियाँ अर्थात् नन्हें मुल्नों की कहानियाँ लिखते समय पात्रों के साथ ही और भी बहुत-सी बातें ध्यान में रखनी पढ़ती हैं। इस प्रकार की बाल कहानियों की भाषा अत्यन्त सहज और सरल होनी चाहिए, जिसे बच्चे सरलता से समझ सकें। भाषा में क्लिष्ट शब्दों, बड़े शब्दों, दो शब्दों को जोड़ कर बनाये गये शब्दों तथा लम्बे वाक्यों से भी बचना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए छोटी कहानी अधिक आकर्षक हो सकती है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है। कभी-कभी बच्चे बड़ी कहानी सुनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में छोटी कहानियाँ उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने पुस्तक के अन्त में नन्हा

जासूस, सबक, गई सो जान दे, बुद्धिमान आलोक आदि बड़ी कहानियाँ दी है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

वर्तमान समय में बच्चों का आई. क्यू. तेजी से बढ़ा है। टेलीविजन पर विभिन्न चौनलों के माध्यम से दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों ने बच्चों का आश्चर्यजनक रूप से ज्ञानवर्धन किया है और उन्हें बौद्धिक रूप से परिपक्व बना दिया है। इस प्रकार के छोटे बच्चे छोटे होते हुए भी बढ़े बच्चों की कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं। प्रायरू छोटे बच्चे कहानियाँ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इन्हें परिवार के किसी बड़े सदस्य से सुनना चाहते हैं। अतः इस प्रकार की कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जिन्हें लोग पढ़कर सरलता से बच्चों को सुना सके।

चीनू ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। वह हाथी को खाने ही जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि बब्बन शेर पर पड़ी। बब्बन हाथी की ओर ही आ रहा था। चीनू तुरन्त हाथी से थोझ हटकर खड़ा हो गया और बसान के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा।'

बब्बन के पास आने पर चीनू ने उसे प्रणाम किया और अत्यन्त विनकता से बोला- आइये महाराज! आप जंगल के राजा है। यह शिकार आपके लिए ही है। इसे स्वीकार कीजिए।

धन्यवाद चीनू! तुम्हारे विनक्रतापूर्ण व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हूँ, किन्तु मैं शेर हूँ। दूसरों का मारा शिकार नहीं खाता। इतना कहकर बच्चन चला गया। चीनू की युक्ति काम कर गयी। वह तो यहीं चाहता था। उसने इधर-उधर नजरें दौड़ायीं। अब हाथी को खाने वाला उसके अतिरिक्त

और कोई नहीं था। चीनू धीरे-धीरे चलते हुए हाथी की सूँड के निकट पहुँचा। वह जानता था कि हाथी की सूंड का मांस सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है। अतः उसने सबसे पहले सुंड का मांस खाने का निश्चय किया।

बुन्देला नरेशों में महाराज वीर सिंह जूदेव के शासनकाल को बुन्देलखण्ड का स्वर्णयुग कहा जाता है। वह महान योखा होने के साथ ही अत्यन्त न्यायप्रिय राजा थे। एक बार उनका पुत्र रानुमार बाघराज शिकार के लिए जंगल गया।

उसके साथ तीन शिकारी कुत्ते भी थे। बाघराज सारा दिन जंगल में भटकता रहा, किन्तु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह झुंझला उठा और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। तभी उसकी दृष्टि एक कद्यावर हिरन पर पढ़ी।

बाघराज के चेहरे पर चमक आ गयी। उसने अपना घोड़ा हिरन के पीछे छोड़ दिया। बाघराज आधा घंटे तक हिरन का पीछा करता रहा, किन्तु 'हिरन उसके हाथ नहीं आया।

जंगल में हमेशा हँसी-खुशी का माहौल रहता था। सभी पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, दिनभर इधर-उधर मस्ती में घूमते थे और शाम को एक साथ बैठकर गप-शप करते थे। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। यदि कभी कोई समस्या होती या किसी का किसी से कोई छोय-मोटा झगड़ा हो जाता

तो जंगल के सभी जीव एक स्थान पर एकत्रित हो जाते और आपस में बातचीत करके निपटारा कर देते।

जंगल के सभी जीव मानव का सम्मान करते थे, क्योंकि मानव सबसे अधिक बुद्धिमान था। जंगल में सबसे बड़े और शक्तिशाली प्राणी हाथी ने भी मानव को परेशान करने का साहस कभी नहीं किया। जंगल के सभी जीव तो मानव को अपना मित्र मानते थे, किन्तु जंगल का राजा शेरू अपनी शक्ति के घमण्ड में मानव को कुछ नहीं समझता था।*

एक दिन शेरू को जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। वह शिकार की खोज में इथर-उधर भटक रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि पेड़ को एक डाल कायते हुए लखन लकड़हारे पर पड़ी। लखन को देखते हीं शेरू दहाड़ा। लखन ने नीचे झांक कर शेरू को देखा।

सन् 2017 में मेरा एक बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था- चुनी हुई बाल कहानियाँश। इसमें

अपनी बात के अन्तर्गत मैंने बाल कहानी को परिभाषित किया था श्बाल कहानी में कहानी ठोती है। इसके केन्द्र में बच्चा अथवा बाल रुचि का विषय होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है। इसके साथ ज्ञानवर्धन ही इसके द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती हैं तथा उनका ज्ञानवर्धन किया जाता है। इसकी भाषा सहज और सरल होती है तथा इसमें प्रचलित शब्दों और छोटे-छोटे वाक्यों का उपयोग किया जाता है।

इस बाल कहानी संग्रह में 22 बालोपयोगी कहानियाँ हैं। इनमें लालची कौआ, दैत्याकार केकड़ा, दुष्ट सियार का अन्त और उल्लू का 'राज्याभिषेक ऐसी बाल कहानियाँ हैं, जिनमें बच्चों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा। इसके साथ ही इसमें नैतिक शिक्षा भी है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

चमत्कारी पत्थर, अधूरा महल, चमत्कारी कमण्डल, बंदर की पूँछ, सत्य की विजय, सोने का नेवला, यक्ष का रहस्य और धन का सदुपयोग पौराणिक अथवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। ये सभी कहानियों बहुत रोचक और मनोरंजक हैं तथा बच्चों को अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देती हैं। यह शिक्षा बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से मनोरंजन की चाशनी में लपेटकर दी गई है। अतः प्रभाव डालने में सफल है।

इस बाल कहानी संग्रह की दो बाल कहानियाँ धर्म की शक्ति और नकल नहीं करूँगा महात्मा गाँधी के जीवन के दो प्रेरक प्रसंग हैं, जिन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय के बच्चों के लिए इस प्रकार की बाल कहानियाँ अत्यन्त उपयोगी हैं।

कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं. और इन्हें रहस्यमय समझने लगते हैं। इस प्रकार की घटनाओं का प्राकृतिक होता है। अथवा मानवकृत इन्हें विज्ञान की सहायता से समझा जा सकता है। रहस्यमय पक्षी इसी प्रकार की कहानी है। वास्तव में यह एकमात्र बृत्तात्त है। इस प्रकार की कहानियाँ बच्चों को रहस्यमय घटनाओं की वास्तविकता जानने के लिए प्रेरित करती हैं।

1. विश्वामित्र, 2. संतकवि, 3. विलक्षण चित्रकार, 4. शाब्ति और प्रेम का मसीहा तथा 5. कहानी मूसा की पाँच महापुरुषों के जीवन को प्रस्तुत करती हैं। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी थी तथा संतकवि एकनाय ने संत ब्यानेश्वर की परम्परा का पालन करते हुए

मरादी आध्यात्मिक साहित्य को सम्पन्न करने का प्रयास किया। रूसी चित्रकार अनातोली ज्वेरेव की गणना उन चित्रकारों में की जाती है, जिन्होंने जीवन भर अभाव की स्थिति में रहते हुए अपनी चित्रकला के द्वारा सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। शाब्ति और प्रेम के मसीहा ईसा मसीह से हम सभी परिचित हैं। आपने पापी और अत्याचारी को भी क्षमा करने और इससे प्रेम करने का संदेश दिया तथा सम्पूर्ण विश्व के मसीहा बन गए। कहानी मूसा की जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है हजरत मूसा की कहानी है। वास्तव में ये पाँचों कहानियाँ जीवनी साहित्य का सुन्दर उदाहरण हैं।

बाल कहानी संग्रह की अन्तिम दो कहानियाँ- आलस्य का फल और विश्वासघाती का अन्त बच्चों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ ही उनका बैतिक विकास करने में सक्षम हैं। ये दोनों बाल कहानियाँ विदेशी लोक कथाओं पर आधारित हैं। इन्हें मैंने नए नए पात्रों के साथ नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

इस बाल कहानी संग्रह को तैयार करने में मुझे आशीष शुक्ला, जय जयराम आनन्द, मुस्लीधर पाण्डेय, विनोद चन्द्र पाण्डेय, अभिनंदन सहित अनेक बाल साहित्यकारों का सहयोग मिला है। मैं इन्हें से धन्यवाद देता हूँ। पुस्तक की पाण्डुलिपि विभा शुक्ला, प्राचार्य श्यामाचरण मुखर्जी,

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शलोपाल (म.प्र.ने तैयार की है तथा इसके संबंध में अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन्हें धन्यवाद देना तो मात्र औपचारिकता होगी। अन्त में मैं श्री विवेक बाहरी, विवेक पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर के प्रति हवय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने पाष्डुलिपि को पुस्तक का रूप देकर आप तक पहुँचाया। बच्चों यह आपकी पुस्तक है। कैसी

लगी? पढ़ने के बाद मुझे पत्र लिखियेगा अथवा मोबाइल पर बताइएगा। उसी जंगल में एक सिंह रहता था। सिंह प्रतिदिन हिरन जैसे एक जीव का शिकार करता था और बढ़े आराम से उसे खाता था। सियार हमेशा सिंह को देखता रहता था।4 वह सोचता रहता था कि किसी तरह उसे भी सिंह के शिकार का बचा खुचा मॉस खाने को मिले।

बाल साहित्य के अनेक स्वरूप दो सकते हैं- परियों की कहानियों, राजा-रानी की कहानियाँ, देव-दानवों की कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, बैतिक कहानियाँ, हास्य कहानियाँ, विज्ञान कथाएँ आदि। साहित्य के समान बाल साहित्य के भी तीन आधार होते हैं- . काल्पनिक, 2. यथार्थ और 3. काल्पनिक एवं ययार्थ का मिश्रण। काल्पनिक आधार के अन्तर्गत परी कथाएँ, देव-दानव की

कहानियाँ आदि आती हैं। भारत के साथ ही विश्व के अधिकांश भागों में काल्पनिक आधार वाला प्रचुर साहित्य लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है। यथार्थ के अन्तर्गत ऐतिहासिक कहानियों, सत्य कथाओं आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत सूचनात्मक बाल साहित्य का भी एक बहुत बड़ा भाग आ जाता है। बाल साहित्यकारों का एक बड़ा वर्ग विशुद्ध यथार्थ पर आधारित बाल साहित्य को साहित्य ही नहीं मानता है।

बाल साहित्य का तीसरा सशक्त आधार है- यथार्थ और कल्पना का मिश्रण। सामान्य व्यक्ति से साहित्यकार की दृष्टि अधिक तेज होती है तथा उसमें सूक्ष्म एवं गहन अवलोकन करने कीं क्षमता होती है। सामान्य व्यक्ति जिन तथ्यों और घटनाओं को देखकर भी ध्यान नहीं देता है, साहित्यकार इन पर ध्यान देता है और इनसे प्रभावित होता है। इस यथार्थ में वह तरह

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

तरह की अपनी कल्पनाएँ जोड़कर साहित्य का सृजन करता है। कमी कभी साहित्यकार यथार्थ से प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं करता, बल्कि अन्य सोतों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, इन्टरनेट, ठी:वी. आदि से यथार्थ की जानकारी प्राप्त करता है। वर्तमान समय में इस प्रकार का साहित्य और बाल साहित्य अधिक लिखा जा रहा है।

बाल साहित्य के तीन आधारों पर यदि ध्यान दिया जाये तो यह स्पष्ठ हो जाता है कि ये तीनों आधार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा साहित्य के विकास में लगभग सभी कालों में विद्यान रहे हैं। आरम्भ में बाल साहित्य में कल्पना अधिक थीं तथा यथार्थ बहुत कम था। लोककथाएँ इसका प्रमाण हैं। आरम्भिक बाल साहित्य लोक कथाओं के रुप में था। विश्व के अधिकांश भागों में मानव के समान बातें करने वाले जीवों, परियों, देवों राक्षसों तथा इसी प्रकार के चमत्कारी पात्रों को आधार बनाकर बहुत-सी कहानियाँ लिखी।

ओल्गा के पिता बोरीसोव चाहते थे कि उनके एक बेदा हो, लिसे वह विश्व का सबसे जॉबाज रिंग मास्टर बनायें, किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। अतः बोरीसोव ने ओल्मा को ही रिंग मास्टर बनाने का निश्चय किया। वह अपने वंश से इस परम्परा को समाप्त नहीं होने देना चाहते थे।5

सर्कस में हजारों लोगों के मध्य कट्घरे के भीतर युवा शेरों को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं होता। ओल्गा के पिता ने रिंग मास्टर का प्रशिक्षण युवा शेरों के बीच प्राप्त किया था।

संदर्भ सूची

1. शुक्ल पस्थुराम नैतिक बाल कहानियाँ, विवेक पद्लिशिंग हाउस जयपुर, संस्करण 2076, पृ. 75

2. शुक्ल परशुराम बैतिक बाल कहानियाँ, विवेक पब्लिशिंग हाउस जयपुर, संस्करण 2076, पृ. 27

3. शुक्ल परशुराम बैतिक बाल कहानियाँ, विवेक पब्लिशिंग हाउस जयपुर, संस्करण 2076, पृ. 54

4. शुक्ल परशुराम मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक बाल कहानियाँ, विवेक पब्लिशिंग हाउस जयपुर, संस्करण 2020, पृ. 9

5. शुक्ल पस्थुराम प्रेरणादायक बाल कहानियाँ, विवेक पब्लिशिंग हाउस जयपुर, संस्करण 2076, पृ. 26